Mr. Deputy-Speaker: This debate will be carried over to the next Session.

14.33 hrs.

OLD AGE PENSION BILL*

by Shri Aurobindo Ghosal

Shri Aurobindo Ghosal (Uluberia): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the payment of pension to the aged and disabled citizens of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the payment of pension to the aged and disabled citizens of India".

The motion was adopted.

Shri Aurobindo Ghosal: I introduce the Bill.

14.34 hrs.

ALL INDIA DOMESTIC SERVANTS BILL—*contd.*

by Shri Balmiki

Mr. Deputy-Speaker: The House will resume further consideration of the following motion moved by Shri Balmiki on the 22nd April, 1961:—

> "That the Bill to provide for the registration of domestic servants and to regulate their hours of work, payment of wages, leave and holidays be taken into consideration".

Out of 2½ hours allotted for discussion of the Bill, 5 minutes were taken on the 22nd April, 1961, and 2 hours and 25 minutes are now available.

Shri Balmiki may now continue his speech.

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, २२ अप्रैल सन् १९६१ को मैंने सदन के सम्मुख अपना आल इंडिया घरेलू कर्मचारी बिल पेश करते हुए इस बात की आवश्यकता बतलाई थी कि घरेलू कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाय, उनके काम के घंटे रैगुलेट किये जायें, उनके लिए उचित पारिश्रमिक दिलवाने की व्यवस्था की जाय । इसके साथ ही उनके काम की शर्तों और छुट्टी आदि को रैगुलेट किया जाय मैं जब उस दिन इस बिल पर बोल रहा था तो मैं ने कहा था कि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहा है जहां प्रत्येक मनुष्य को समान दृष्टि से समान स्तर पर लाने के प्रयत्न हो रहे हैं । छोटे से छोटे मनुष्य को चाहे वह किसी भी प्रकार का मजदूर है या घरेलू मजदूर है उसे ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिएं जिससे वह महसूस कर सके कि वह भी एक मनुष्य है और उस प्रकार का मानवोचित व्यवहार चाहता है । केवल वेतन आदि तथा दूसरी सुविधाएं लेकर ही नहीं बल्कि इस प्रकार का अवसर भी उसे सुलभ होना चाहिए जिससे कि वह उस हीन जीवन से उठ कर एक ऐसा जीवन प्राप्त कर सके जहां उन्नति के अवसर हों । इसके लिए समाज की व्यवस्था तथा वातावरण को बदलने की आवश्यकता है । आज की समाज की व्यवस्था में जो एक दोष नजर आता है वह दोष यह है कि जो मनुष्य छोटा है वह छोटा ही बना रहता है और जो जन्म-जन्मान्तर से बड़ा है उसे उन्नति के अवसर प्राप्त होते रहेंगे और नतीजा यह होता है कि वह निरन्तर उन्नति-पथ पर अग्रसर होता रहता है ।

आज मजदूरों के कल्याण के लिए आपकी ओर से काफी प्रयत्न चल रहे हैं किन्तु घरेलू मजदूर उन से वंचित हैं । आज जब कि प्रजातांत्रिक परम्परायें देश में पनप रही हैं तथा मनुष्य का महत्व बढ़ रहा है तब घरेलू मजदूर या इस प्रकार के मजदूर जीवन भर एक रट में फंसे रह और उन्हें सामाजिक न्याय भी न मिले यह कहां तक न्याय-संगत है ? घरेलू मजदूरों के अलावा हमारे वे अभागे व्यक्ति जो कि बड़ी बड़ी जायदाद वाले मालिकों के यहां

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated the 5th May, 1961.

नौकर हैं, राजा महाराजाओं के नौकर हैं उनका जीवन भी बड़ा दुःखपूर्ण है। आज हमारे उन राजा महाराजाओं के सिर पर ताज भले ही न रहा हो लेकिन उनके महलों के अन्दर और हरमों के अन्दर वे हमारे अभागे नौकर आज भी फंसे चले आते हैं। अभी यह सुनने में आया था और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने भी उसको सुना होगा कि निजाम हैदराबाद जिसका कि आज से कुछ समय पहले काफी दबदबा रहा है उस निजाम हैदराबाद के वहां हजारों इस प्रकार के घरेलू मजदूर ससकते नजर आते हैं। आज सदियों के बाद जब इस प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं तो हमें उन अभागे आदमियों को भी उस रट में से निकालने के लिए प्रयत्न करना होगा जोकि उसमें सदियों से फंसे चले आते हैं। मेरा तो कहना है कि चाहे वह भंगी हो, चाहे वह दूसरे प्रकार का मजदूर हो, धोबी हो, साधारण प्रजा का आदमी हो, घरेलू मजदूर हो या कोई बर्तन धोने आदि का काम करता हो, उन सब लोगों को उस रट में से निकालने का प्रयत्न होना चाहिए। उनकी अवस्था में सुधार लाने का प्रयत्न होना चाहिए। मैंने अंग्रेजी का एक "वैगाबौंड" नाम का नाविल पढ़ा था। उस नाविल के अन्दर जो विशेष कैरेक्टर है वह कहता है कि मैं अपने इस स्कलियन को अर्थात् बर्तन धोने वाले को फिलासफर बनाऊंगा। किन्तु आज की स्थिति में ऐसा मजदूर फिलासफर भले ही न बन सके क्योंकि फिलासफर बनने के लिए अकल दरकार होती है, वह एक अक्ल वाला आदमी होता है लेकिन वह कम से कम एक लीडर और नेता तो बन ही सकता है जिसके लिए ज्यादा अक्ल की जरूरत नहीं होती है। उसको कम से कम लीडर और नेता तो बनने के अवसर दे ही सकते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आज के प्रजातांत्रिक युग में यह बहुत जरूरी है कि उनको सामाजिक न्याय मिले। अगर उनके साथ उसी पुराने तरीके से अन्याय होता रहे और उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त न हो और वह उसी दयनीय अवस्था में पड़े रहें तो फिर हमारे इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की दुहाई देना बेकार है और वह कोई मायने नहीं रखती है।

आज शासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस बात की व्यवस्था करे कि हर एक देशवासी चाहे वह बड़े घर में जन्मा हो या छोटे घर में, अमीर हो या गरीब मालिक हो या घरेलू नौकर, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ा हो, सब अपना जीवन एक इंसान की तरह बिता सकें। हर एक इंसान को जीवन में आगे बढ़ने और प्रगति करने के समान अवसर दिये जायें। निस्संदेह एक भूखा और नंगा आदमी जो कि एक भूखी और नंगी गोद में पैदा होता है वह भी प्रयत्न करके अपनी मेहनत से लाखों की जायदाद का मालिक बन जाता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसको भी उन्नति करने के समान अवसर दिये जायें। मैं इसको बल देने के लिये आप के सामने "ए स्टडी इन इकोनामिक प्रिंसिपल्स एण्ड ह्यूमन बीइंग" में प्रदर्शित किये गये उस मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को स्पष्ट शब्दों में रखना चाहता हूं ताकि वह बात आपके सामने अच्छी तरह से आ सके। उससे आप समझ सकते है कि एक साधारण से साधारण मनुष्य भी किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है और उन्नति कर सकता है। मैं आपके सामने उन शब्दों को रख देना चाहता हूं :—

"However humble his origin, however menial his task, and however limited his educational opportunities or achievements—man is still a fellow human being. The mainsprings of his personality and his attitude towards his job relationship derive from this basic need of the dignity of man".

मैं एवरेट चैरिंगटन ह्यूज के शब्दों को आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :—

"A man's work," as Everett Cherrington Hughes puts it, "is

[श्री बाल्मीकी]

one of the more important parts of his social indentity, of his self, indeed of his fate, in the one life he has to live...." Work, therefore, being of such crucial importance for the material as well as for the psychological well-being of the individual is normally liked by almost all human beings."

इसी प्रकार से जे० ए० सी० ब्राउन ने लिखा है :—

"It is understood that there are some tasks and occupations which are not very pleasant or socially satisfying, and even considered degrading in the eyes of society which may wound the workers' personal dignity."

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जीवन की कुछ मजबूरियां हैं कि उन्हें कोई भी काम अपनी इच्छाओं के विरुद्ध करना पड़ता है और मजबूर हो कर इस तरह के साधारण काम में लगना पड़ता है । जब वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी काम को करने पर मजबूर हो जाता है तो उसकी कैसी दशा होती है, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं । वह करना तो किसी और काम को चाहता है, अक्लमन्दी के साथ किसी और काम को पकड़ना चाहता है लेकिन भाग्यवश उसे और काम मिलता नहीं है और उसे मजबूर हो कर इस काम को करना पड़ता है । घरेलू मजदूर हो कर उसको रहना पड़ता है । इस ओर आपके ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या मनुष्य इस प्रकार आगे बढ़ सकता है यदि उसे जीवन को सफल बनाने का अवसर तक नहीं दिया जाता है ? वह एक प्रकार से बिना मुंह खोले और अपनी बात को कहे बगैर और जीवन में हर एक ज्यादती को बरदाश्त करके केवल दासता का जीवन व्यतीत करते रह कर क्या वह कभी उन्नति कर सकता है । घरेलू कर्मचारियों का जीवन एक इसी प्रकार का जीवन रहा है । इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मस्तिष्क में जब इनका चित्र आता है तो वह एक दासता का, तथा घृणापूर्ण ही आता है । यद्यपि वह दासता आज संसार में नहीं है तथापि घरेलू मजदूरों का निकास वहीं से प्रारम्भ होता नजर आता है । प्राचीन सभ्यतायें चाहे आज दुनिया में न रही हों, मगर वे एक अमिट निशान छोड़ गई हैं । चाहे वह यूनान की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, या यहां की पुरानी सभ्यता हो, घरेलू कर्मचारी दासों का ही जीवन व्यतीत करते थे, उनका जीवन एक दुःख भरा ही जीवन था । सभ्यता के विकास के साथ साथ महल तथा हरम के जीवन के साथ साथ आराम के जीवन के साथ साथ जीवन की रंगीनी के साथ साथ इनकी संख्या भी बढ़ने लगी । प्राचीन भारत में घरेलू मजदूर शूद्र ही तो कहलाते थे और जब मुझे यह शूद्र शब्द याद आता है तो इसके साथ साथ मुझे जैसा जीवन वे व्यतीत करते थे दुख भरा जीवन व्यतीत करते थे दासता का जीवन व्यतीत करते थे, पतित जीवन व्यतीत करते थे, निम्न जीवन व्यतीत करते थे, उसकी भी याद आ जाती है । प्राचीन काल में भी उन के साथ इसी तरह का व्यवहार होता था और इसी प्रकार का वे जीवन व्यतीत करते थे । मेरे पास एक किताब है जो डोमेस्टिक सर्वेन्ट क्लास के बारे में है और जिसको मेरी एक बहन ने बम्बई की जो है उन्होंने लिखा है । उन का नाम श्रवान बी मेहता साहिबा है । उस में उन्हों ने बताया है कि किस प्रकार से प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में ये घरेलू मजदूर शूद्र का जीवन, चांडाल का जीवन व्यतीत करते थे । उन्होंने लिखा है :—

"Domestic work in ancient India was performed chiefly by slaves and sudras who were members of a servile class impoverished in the conflicts, addicted to manual tasks, and ordained to live by serving the people of the higher varnas. We have evidence to male and female slaves, dasas and dasis employed

in domestic work as early as in the Vedic society attending on their priestly and warrior masters. We find that from the Vedic period right upto the Gupta age as delineated by Ram Sharan Sharma slaves and Sudras were engaged as domestic servants. The conditions of, and the treatment accorded to these household workers, are depicted in such works as the Dharma Shastras, Kautilya's Arthasastra, Kama Sutra, Santi Parvan of the Mahabaratha, Buddhist and Jain texts, in the works of Panini, Gautama and Manu."

इस प्रकार से बुद्ध में तथा जैन धर्म में इन के साथ सद्व्यवहार की बात कही थी और बीमारी में उन का ख्याल रखने को कहा था और यह भी कहा था कि कभी कभी छुट्टी भी उन को मिल जानी चाहिये। कौटिल्य अर्थ शास्त्र में व्यक्त ये शब्द भी मैं आप के सामने कह देना चाहता हूं कि वहां घरेलू मजदूरों के साथ सद्व्यवहार की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि मालिक नौकर के सम्बन्ध अच्छे होने चाहियें। उन्होंने यह भी कहा है कि उन के उचित वेतन निर्धारित होने चाहियें। कौटिल्य ने साफ तौर से राजा का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि दास और भृत्यों का विशेष ध्यान रखा जाये। इतना ही नहीं बल्कि अशोक के धर्म उपदेशों में उन के साथ दयापूर्ण व्यवहार की बात कही गई है। काम सूत्र शान्ति पर्वम आदि में भी उन के साथ सद्व्यवहार की बात कही गई है। शकुन्तला नाटक में भी महाकवि कालीदास दास ने कन्व ऋषि के मुह से शकुन्तला को जब वह विदा हो रही थी, कहलवाया है कि उस का व्यवहार परिजनों के साथ नम्रता का होना चाहिये तथा घरेलू मजदूरों के साथ नम्रता का सद्व्यवहार होना चाहिये। मनु ने भी भृत्यों के वेतन आदि की बात कही है और कहीं कहीं यह भी कहा है कि उन को उतरे हुए कपड़े और उच्छिष्ट भी दिये जायें। उतरे हुए कपड़े या उच्छिष्ट देने की प्रणाली आज भी चल रही है। बाल्मीकी रामायण में यह लिखा है कि रामचन्द्र जी का व्यवहार भृत्यों के साथ नम्रता तथा मानवता का था।

इस सब से यह स्पष्ट है कि यह प्रश्न आज कोई नया प्रश्न नहीं है। आज जब सामाजिक चेतना है जब जागृति है तो घरेलू मजदूर केवल सोते रहें यह कहां तक सम्भव है। आज उन की कीमत है तथा उन के काम की सामाजिक महत्ता है। मैं मेरी बी० रोबिसन, डायरेक्टर आफ वोमेंज ब्योरो के शब्दों में कहना चाहता हूं :

"Household employment is obviously a service of vital importance because of its contribution to the health and happiness of families, the convenience and comfort of homes. Certainly workers who prepare food, launder clothes, keep households clean and attractive, care for children, old people or invalids and perform numerous tasks that oil the daily routine of existence are engaged in socially worthwhile services which not only promote the well-being of the household but contribute to the welfare of the community."

यह सामाजिक दोष कि घरेलू मजदूरों का जीवन विकसित न हो सके कब तक चलेगा। आज उन की परिस्थिति को हर प्रकार से देखना होगा और यह बहुत आवश्यक है। इन पिछले चन्द वर्षों में किसी न किसी प्रकार से यह प्रश्न हमारे सामने आता रहा है। श्रम मंत्रालय की सलाहकार समिति ने बराबर इस पर विचार किया है। २६ अप्रैल, १९४६ को भी इस पर विचार हुआ था और कहा गया था कि इन के प्रति सद्व्यवहार होना चाहिये और इन की समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इन की एक मात्र संस्था आल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर्ज यूनियन जो है उस ने भी इस के बारे में बराबर आन्दोलन किये हैं और बराबर अपने रिप्रिजेन्टेशन सरकार के सामने और माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने रखे हैं। प्रसन्नता की बात है कि प्रधान मंत्री जी ने अपने व्यस्त

[श्री बाल्मीकी]

जीवन में से कुछ समय इन की समस्याओं को दे ने के लिये और हल करने के लिये निकाला है। यह इन बहुत पुराना है, नया नहीं है। इन को शू समझा जाता रहा है, इस को मैं दोहराना नहीं चाहता। केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वेतन इन को ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता है, यातनाय इन को भोगनी पड़ती हैं, बड़ा ही दुखभरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है और आज के ुग में जहां आप अन्य मजदूरों के लिये इतना कुछ कर रहे हैं और उन की तरफ इतना अधिक ध्यान दे रहे हैं वहां आप का यह क व्य हो जाता है कि इन की ओर भी आप ध्यान दें। कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उन की तरफ आप ध्यान देते हैं, खेतिहर जो मजदूर हैं उन की तरफ आप का ध्यान जाता है, तो कोई वजह नहीं है कि आज जब कि जनता की सरक र है, जनता के पैसे से वह चलती है, इन घरेलू कर्मचारियों की समस्या को बराबर टालती जाये। अगर ऐसा किया जाता है तो यह न्यायसंगत नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आई० एल० ओ० की एक कनवैन्शन सन् १९५१ में जेनेवा में हुई थी और उस के बाद से घरेलू मजदूरों के बारे में, उन की जीवन की समस्या के बारे में, दिन-प्रति के प्रश्नों के बारे में बराबर एक सवाल उठता रहा है और इस रूप में भी यह सवाल आप के सामने आया है। मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो विशेषज्ञ सन् १९५१ के जैनेवा कन्वेन्शन में बैठे थे उन का ध्यान इस ओर गय. था। उन्हों ने जो बात वहां पर रक्खी थी वह भी मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। उन का ध्यान डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स की समस्याओं पर गया और उन्हों न कहा कि मालिक और घरेलू मजदूरों के सम्बन्ध सुव्यवस्थित रहें, वे पारस्परिक अधिकार को समझें, कानून की स्थितियों को समझें, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व को समझें। काम करने की स्थितियां ठीक हों, काम करने के घंटे ठीक होने चाहियें, विश्राम करने का समय, साप्ताहिक छुट्टी, वार्षिक छुट्टी, वेतन सहित देने की व्यवस्था होनी चाहिये। इस प्रकार की सुव्यवस्था उन के लिये निर्धारित होनी चाहि । घरेलू मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन की व्यवस्था होनी चाहिये, और यही नहीं, बल्कि उन के स्वास्थ्य की सुरक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिये। नारी घरेलू मजदूरों के लिये मैटर्निटी बैनिफिट्स तथा दूस ी सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिये, निवास की व्यवस्था का प्रबन्ध होना चाहिये, कम उम्र के घरेलू मजदूरों की सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। इस दिशा में सामाजिक सुरक्षा के साथ कानूनी व्यवस्था भी होनी चाहिये। उन के लिये नये उद्योग धंधों में ट्रेनिंग आदि, वोकेशनल ट्रेनिंग आदि, देने का प्रबन्ध होना चाहिये। इन बातों पर उन विशेषज्ञों ने ध्यान दिलाया है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस कन्वेन्शन की जो मंशा है उस पर पूरी तरह लेटर ऐंड स्पिरिट के अनुसार ध्यान नहीं दिया गया है, न ही इस दिशा में अमल हुआ है।

आज देश में बेकारी बढ़ रही है, आज देश में अनप्रोडक्टिव लेबर बढ़ती चली जा रही है। मैं जानता हूं कि आप इस बेकारी को दूर करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, और एक प्रकार से देश के अन्दर उद्योग धंधों को ैला कर के, छोटे उद्योग कायम कर के, कुटीर उद्योग कायम कर के, लोगों के सामने काम के लिये आकर्षण पैदा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देश के अन्दर एक प्रकार की अनप्रोडक्टिव लेबर बढ़ती चली जा रही है। इस की वजह यह है कि इस ओर अभी लोगों को पूरी तरह से काम देने का प्रबन्ध आप के पास नहीं है न ही इधर कोई आकर्षण उत्पन्न हो रहे हैं। यों तो घरेलू मजदूर देश के हर कोने से उत्पन्न होते हैं, किन्तु जो पर्व ीय क्षेत्र है, जहां से भक्त दर्शन जी आते हैं, और जिन के बारे में

वे बोलते हुए बतलाने की चेष्टा करेंगे कि वहां कैसी स्थिति है, वहां की स्थिति को थोड़ा थोड़ा मैं भी देखा है। पर्वतीय क्षेत्रों में मैं ने देखा है कि वहां कितनी भयंकर गरीबी है, वहां अच्छे आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं हैं और इस प्रकार से वहां से हजारों गरीब लड़कों को, गरीब मजदूरों को, काम की तलाश में मैदानों में उतरना पड़ता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे कासमोपालिटन नगरों के अन्दर उन को काम की तलाश में आना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आप प्रयत्न कर रहे हैं इस के लिये, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनप्रोडक्टिव लेबर को रोकने के लिये, जहां वे पैदा होते हैं वहीं पर उन को काम धंधा देने के लिये, वहीं पर उन को रोकने और उन के लिये काम के आकर्षण पैदा करने के लिये आप क्या कर रहे हैं? यह आवश्यक है कि सर्वेक्षण कर के पहाड़ी क्षेत्रों का आर्थिक विकास किया जाय। घरेलू मजदूर देश के हर कोने में उत्पन्न होते हैं, लेकिन जैसा मैं ने बतलाया पर्वतीय क्षेत्रों से वे अधिक आते हैं, और यहां आ कर वे तरह तरह के छोटे काम धंधों को अपनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह भाग्यहीन पर्वतीय बच्चे रेस्टोरेन्ट्स के अन्दर या होटलों में या दूसरे प्राइवेट उद्योग धंधों में तरह तरह के प्राइवेट कामों के अन्दर लगे हुए हैं, लेकिन उन का जीवन बड़ा दुखी जीवन है उन की दिन चर्या कष्टपूर्ण है, उन को वेतन भी ठीक नहीं मिलता है, उन को फुर्सत नहीं होती है, कोई आराम नहीं मिलता है। चौबीस घंटे काम में पिले रहते हैं। जब ऐसा प्रश्न यहां आता है तब कोई यह सोचे कि मैं देश के अन्दर अशान्त वातावरण पैदा करना चाहता हूं और मालिक तथा नौकरों के बीच के सम्बन्ध खराब करना चाहता हूं, तो ऐसा मेरा मंशा नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि नौकरों और मालिकों के बीच सद्भावना उत्पन्न हो, जिस प्रकार मालिक दोपहर को खाना खा कर डेढ़ दो घंटे सोता है, उसी प्रकार नौकर को भी आराम करने का मौका मिले, जिस प्रकार से घर के और लोगों को आराम मिलता है, उसी प्रकार घरेलू मजदूरों को भी मिलना चाहिये। यदि आप यह कहते हैं कि हमारे देश के अन्दर जो घरेलू मजदूर है वह हमारे घर का अंग है उसी प्रकार बहुत से भाई कहते हैं। मैं यह मानता हूं कि बहुत से हमारे परिवार इस प्रकार के है, जो धनी परिवार हैं, सुखी परिवार हैं, उन के यहां घरेलू मजदूरों को काफी सुख दिया जाता है, उन के कपड़े लत्ते का सुन्दर प्रबन्ध किया जाता है और घर की तरह से उन को आराम मिलता है। लेकिन ऐसे मनुष्य मुट्ठी भर हैं, उंगलियों पर गिनने के काबिल है, परन्तु जो अन्य हजारों आदमी हैं वे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उन्हें व्यर्थ समझते हैं। इसीलिये मैं ने आप का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि नौकरों को जानवरों की तरह से नहीं समझना चाहिये, उन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि जानवरों की भी कोई कीमत है किन्तु घरेलू मजदूरों की कोई कीमत नहीं। समाज में उन की कोई कीमत बन सके—मैं चाहता हूं कि इस की ओर आप ध्यान दें। आज तक जो भी फैसले हुए है उन के बारे में उन को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

सन्नता की बात है कि इस बीच हमारी सलाह कार समिति ने भी और कुछ अन्य नेताओं ने भी इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और जो १७ वां श्रम सम्मेलन मद्रास के अन्दर हुआ था उस में भी आप ने कुछ फैसले किये हैं, उन की ओर आप को ध्यान देना चाहिये। आप ने देश के सामने पाइलट स्कीम का नक्शा भी रक्खा है। उस पाइलट

14.55 hrs.

[SHRI JAGANATHA RAO *in the Chair*]

स्कीम के अनुसार उन के नाम वहां दर्ज हों, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में एक रजिस्टर रक्खा जाय और इस प्रकार की उन को सुविधा प्राप्त हो सके।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो पाइलेट प्रोजैक्ट्स स्कीम या प्रयोगात्मक कार्यालय खोले गये हैं उनसे

[श्री वाल्मीकी]

इन लोगों की समस्या हल नहीं होती है। इनको और मजबूत करने की कोशिश करें क्योंकि अगर यह इसी तरह से ढील से चलते रहे तो लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सकता है। आपने उनकी स्थिति की जांच के लिये एडवाइजरी कमेटी नियुक्त की है, ठीक है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन इस एडवाइजरी कमेटी का रूप बदलने की आवश्यकता है। इसमें कम से कम घरेलू मजदूरों के भी दो या तीन प्रतिनिधि होने चाहियें ताकि आप उन लोगों की समस्याओं पर और अच्छी तरह विचार कर सकें। जैसा रूप आज इस कमेटी का है उससे काम चलने वाला नहीं है। मान लीजिये कि आप उनकी स्थितियों को ठीक करना चाहते हैं और उसके लिये एक अच्छी शक्ल पैदा करना चाहते हैं, तो जैसा मैंने कहा, कानून की शक्ल मेरे मस्तिष्क में मौजूद है। मैं तमाम दुनिया के बारे में जानता हूं या नहीं, लेकिन कई देश इस प्रकार के हो सकते हैं जहां कोई न कोई कानूनी शकल की बात मौजूद है। मुझे बतलाया भी गया है कि एक ऐसी मोरेल सोसायटी है जिस को सरकार की मदद मिलती है और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर के वह उनकी समस्याओं को समझने की चेष्टा करती है। लेकिन मैं थोड़े से शब्दों में साफ तौर से बतला देना चाहता हूं कि जब दूसरे मजदूरों के लिये कानूनी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो यकीनी तौर से कोई वजह नहीं है कि घरेलू मजदूरों के लिये भी कोई कानूनी व्यवस्था पैदा न हो सके, उनके लिये काम के घंटे निर्धारित न हो सकें, उन के लिये छुट्टी के घंटे निर्धारित न हो सकें, उनके लिये सम्मानित रूप से कार्य करने के लिये अवसर न प्राप्त हो सके, उनके लिये बीमारी के समय देख रेख या ठीक से प्रबन्ध न हो सके, और अगर और कुछ नहीं तो कम से कम उन के वेतन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और जो न्यूनतम वेतन का कानून है उसको उन पर लागू करने की कोशिश करनी चाहिये। उन पर खाली यह कानून ही लागू नहीं करना चाहिये बल्कि जो उन के झगड़े होते हैं वे कंसिलिएशन मशीनरी या ट्राइब्यूनल के द्वारा तय होने चाहियें। जो आप की ट्राइब्यूनल या कंसिलिएशन मशीनरी है वह उन की मांगों पर ध्यान नहीं देती है, मैं इस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस ओर ध्यान देंगे और इस तरह से उन के साथ सद्भावना का वातावरण पैदा करने की कोशिश करेंगे।

मैं आप से मानवता के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर तथा कल्याणकारी राज्य के सम्मान के नाम पर अपील करता हूं कि आप ठंडे दिल से और ठंडे मस्तिष्क से, संजीदगी के साथ उन की समस्याओं पर विचार करें तथा उनके लिये कोई उचित व्यवस्था करें। उचित व्यवस्था से मेरा मतलब उन के काम की व्यवस्था से है। यदि इस युग में भी ऐसे मानवों को जो क्षुधा की ज्वाला बुझाने के लिये गरीबी के अभिशाप के कारण छोटा से छोटा काम करते हैं, न्याय नहीं मिलता है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, तो उन लोगों के अन्दर एक अजीब क्रान्ति भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। मैं समझता हूं कि जब तक इस प्रकार के मजदूरों की समस्याओं को हल नहीं किया जाता है और उन के लिये कोई सामाजिक न्याय पैदा करने की कोशिश नहीं की जाती है, उन को नित्य प्रति के विक्टिमाइजेशन या अत्याचार से बचाने की चेष्टा नहीं होती है जो कि उन पर पुलिस या मालिकों द्वारा किया जाता है तब तक सदियों से भूखों मरने वाले और नीचे गिरे हुए मनुष्यों का जीवन अव्यवस्थित ही रहेगा। यह याद रखने की आवश्यकता है:—

"बुभुक्षित किन्नकरोति पापं, क्षीणा:
नरा: निष्करुणा भवन्ति।"

भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं कर सकता।

इस प्रकार के क्षीण दलित हृदय मनुष्य करुणा रहित होते हैं।

दुर्बल को न सताइये, वाकी मोटी हाय,
मुई खाल की सांस सों सार भस्म हो जाय।

अब समय आ गया है कि आप उन की ओर ध्यान दें और ऐसी कोई व्यवस्था करने की कोशिश करें जिस से उन की स्थिति ठीक हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

15 hrs.

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं श्री बाल्मीकि द्वारा प्रस्तुत विधेयक की भावना का अन्तःकरण से स्वागत करता हूं।

यह स्वाभाविक है कि देश में घरेलू कर्मचारियों की सेवा की शर्तों, काम के घंटों और वेतन की अदायगी के बारे में विचार किया जाये और ऐसा प्रयत्न किया जाए कि जिससे घरेलू कर्मचारियों का पारिश्रमिक उनको उचित रीति से मिल सके। बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में घरेलू कर्मचारी काम करते हैं, और जब तक शासन हर एक सक्षम व्यक्ति के लिये काम नहीं जुटा सकेगा, घरेलू कर्मचारी रहेंगे और उनकी सेवा की शर्तें तै करने का सवाल भी इस सदन और देश के सामने रहेगा।

लेकिन इस सवाल पर विचार करते हुए केवल भावना के आधार पर हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। अन्य देशों से हमारे देश की तुलना भी ठीक नहीं होगी। जहां मनुष्य श्रम के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रस्तुत नहीं रहते, जहां स्टेशनों पर कुली नहीं मिलते, जहां घरों में कर्मचारी रखना बहुत महंगा पड़ता है, उन देशों की स्थिति से हमारे देश की स्थिति की तुलना नहीं हो सकती। यह ठीक है कि हम उसी स्थिति को लाना चाहते हैं जबकि प्रति घंटे आदमी को पांच या सात रुपए पारिश्रमिक मिल सके, जैसा कि अन्य देशों में मिलता है जिसके कारण घरेलू कर्मचारी रखना सम्भव नहीं होता, लेकिन आज इस प्रकार के नियम हम लागू कर सकें यह व्यावहारिक नहीं है, और इसलिए इस विधेयक पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना होगा।

देश के अनेक प्रान्तों में अलग अलग स्थितियां हैं, और मैं प्रस्तावक महोदय से इस बात में सहमत नहीं हूं कि सम्पूर्ण देश के लिए कोई एक कानून बनाया जाए जिसे वहां विद्यमान परिस्थिति का बिना विचार किए हुए लागू कर दिया जाए। हां, मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव अवश्य दूंगा कि केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कोई "माडल बिल" बनाना चाहिये और उसे अन्य राज्य सरकारों के विचार के और स्वीकृति के लिये भेजना चाहिये जिसे वहां की परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जा सके।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। घरेलू कर्मचारियों के लिये हफ्ते में एक दिन की छुट्टी होनी चाहिये, यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मेरा घरेलू कर्मचारी एक दिन की भी छुट्टी लेना नहीं चाहता। क्योंकि छुट्टी लेने का अर्थ होता है कि उस दिन घर में भोजन नहीं बनेगा क्योंकि भोजन वही बनाता है, और अगर भोजन नहीं बनेगा तो उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था अलग करनी पड़ेगी। अब अगर प्रस्तावक महोदय इसमें ऐसी व्यवस्था कर दें कि जिस दिन घरेलू कर्मचारी की छुट्टी हो उस दिन जो उसे नौकर रखे वह उसे भोजन बना कर खिलाए—लेकिन यह व्यवस्था उन्होंने नहीं की है—तब तो समझ में आ सकता है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं की है। इससे मैं समझता हूं कि शायद इतनी दूर तक जाने के लिए वह भी तैयार नहीं हैं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): You are a bachelor; that is why difficulty arises. Otherwise, the wife will prepare the meals.

श्री वाजपेयी: : यह कठिनाई अवश्य है। इसीलिए घरेलू कर्मचारी छुट्टी नहीं चाहता। इसलिए इसके बारे में नियम बनाने के पहले हम को सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो कि हम कानून बना कर उनका हित करने का प्रयत्न करें और इससे उनका अहित हो जाए। तो जहां तक भावना का सवाल है वह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कानून बनाया गया तो घरेलू कर्मचारियों के सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और जो प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा।

जहां तक वेतन का सवाल है, वेतन भी आज की स्थिति को देखते हुए बहुत कम रखा गया है। इसमें रखा गया है कि १८ साल की उम्र से कम वाले को ३० रुपया प्रतिमास वेतन दिया जाए और जिसकी उम्र इससे ज्यादा हो उसको ४० रुपए प्रतिमास वेतन दिया जाए। मैं उनसे स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या इसमें भोजन का हिसाब भी शामिल है या नहीं। अगर इसमें भोजन का हिसाब शामिल नहीं है तो वह वेतन के अन्तर्गत कैसे आएगा और अगर कोई घरेलू कर्मचारी अपने पैसे से भोजन की व्यवस्था करता है तो इस तीस रुपये में उसका निर्वाह कैसे होगा। आज जो दिल्ली में घरेलू कर्मचारी हैं वे भोजन के साथ तीस और चालीस रुपया प्रति माह लेते हैं। अतः भोजन के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिये। जहां तक काम के घण्टों का प्रश्न है दस घण्टे की व्यवस्था इस तरह हो सकती है कि किसी परिवार के भोजन के दोनो समय उसको काम के लिए बुला लिया जाए और उसको अपने भोजन की व्यवस्था बाहर करनी पड़े।

इस तरह से १० घंटे की व्यवस्था कर दी गयी तो भी कर्मचारी को कठिनाई हो सकती है। आज तो अगर १० घंटे का काम नहीं है तो वह बैठ सकता है या अपना समय और काम में लगा सकता है, लेकिन अगर एक बार हम मालिक और कर्मचारी के सम्बन्धों का निर्धारण ट्रेड युनियनवाद इस आधार पर करेंगे तो घरेलू कर्मचारियो को १० घंटे बराबर काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इसमें जो पुलिस को अधिकार दिया गया है वह भी घरेलू कर्मचारियों के हित में प्रमाणित नहीं होगा। पुलिस छानबीन करेगी, वह कहां से आया है इसका पता चलाएगी। अब कुछ ऐसे घरेलू कर्मचारी भी होते हैं जो अपने घरों की परिस्थितियों से विवश होकर मैदानों में चले जाते हैं, कुछ घर वालों से बगैर कहे चले आते हैं और कुछ कमा कर घर वापस जाना चाहते हैं। अगर पुलिस वाले उन के घर वालों को बतादेंगे कि वे कहां तो हो सकता है कि उनके घर वाले आकर उनको पकड़ कर ले जाएं। और कितने कर्मचारी पुलिस को पूरी जानकारी देने के लिये तैयार होंगे। और पुलिस अगर जानकारी एकत्र करेगी तो मैं नहीं समझता कि घरेलू कर्मचारियो के लिये यह कोई अच्छी बात होगी।

जहां तक मालिक का सवाल है अगर मालिक उसको रजिस्टर नहीं कराता तो उसको केवल २५ रुपये देने होंगे। यह जुरमाना बहुत कम है।

मेरा निवेदन है कि यह विधेयक जितना दूर जाना चाहिये उतना दूर नहीं जाता और दूसरी ओर ऐसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है कि जिससे घरेलू कर्मचारियों की कठिनाइयां बढ़ जाएं। इसलिये मेरा आग्रह है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए संसद् को को चाहिये कि एक समिति का निर्माण करे जो यह सोचे कि कानून बनाने के अलावा घरेलू कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन उपाय अपनाने चाहियें और सब बातों पर विचार करके ऐसी व्यवस्था का विकास करे कि जिसमें घरेलू कर्मचारियों के जीवन में आवश्यक सुख

सुविधा भी लायी जा सके और कानून से उनके मार्ग में अनावश्यक कठिनाइयां भी न आएं।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभापति महोदय, हमारे आदरणीय मित्र श्री बाल्मीकि जी ने जो अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसका सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

अभी मुझसे पूर्ववक्ता श्री वाजपेयी जी ने अपना भाषण देते हुए यह बताने की कृपा की थी कि इस विधेयक को लागू करने में हमें किस प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया उनमें से बहुत सी ऐसी हैं कि जिन पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन उन सब के बावजूद मैं यह समझता हूं कि इसमें मेरे विचार से मेरे मित्र श्री वाजपेयी जी भी इस बारे में मेरी राय से सहमत होंगे कि हमारे देश में घरेलू कर्मचारियों की जो दयनीय स्थिति है उसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिए और कोई ऐसा मार्ग अवश्य निकालना चाहिये ताकि उनकी स्थिति में सुधार किया जा सके।

श्रीमन, मैं इस अवसर पर इस सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि सदन के सभी वर्गों और विचारों के लोग इस बात से सहमत होंगे कि घरेलू कर्मचारियों की जो इस समय स्थिति है वह बहुत ही दयनीय है और वह बहुत असन्तोषजनक है तथा उसमें सुधार करने की अत्यधिक गुंजाइश है। हमारे घरेलू कर्मचारी लोग रात दिन काम की चक्की में जिस प्रकार से पीसे जाते हैं उसके आये दिन उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। दिल्ली में इस तरह के कितने ही उदाहरण मौजूद हैं कि जब नौकरों द्वारा वेतन की मांग की गई तो उनको वेतन देने के बदले उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया और उनको जेलों में भेज दिया गया। हमारे यहां की पुलिस हालांकि मैं उसका प्रशंसक हूं लेकिन आम तौर से यह देखने में आया है कि वह मालिकों का ही साथ दिया करती है और बेचारे गरीब मजदूरों और इस प्रकार के घरेलू कर्मचारियों को उनक सहायता प्राप्त नहीं होती है। उनको कानूनी सहायता उपलब्ध होना असम्भव होता है और इस कारण उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं।

श्रीमन्, मैं इस विधेयक की भावना का इसलिये भी समर्थन करना चाहता हूं कि अधिकांशतः जिन इलाकों से ये गरीब भाई यहां दिल्ली में तथा दूसरे बड़े बड़े शहरों में आते हैं उन इलाकों के कुछ अंश का प्रतिनिधित्व करने का मुझे भी कुछ गौरव प्राप्त है। अभी मेरे मित्र श्री बाल्मीकि जी ने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया कि यह घरेलू कर्मचारी उन पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं जो कि ज्यादातर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं, वे पहाड़ों के रहने वाले हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा और नेपाल आदि इलाकों से वे आते हैं। तो क्या कारण है जो वहां से हजारों की तादाद में यह लोग दिल्ली और दूसरे गरम स्थानों में चले आते है? कौन सी ऐसी मजबूरी है जो उन्हें यहां ले आती है? उन पहाड़ी क्षेत्रों की दर्दनाक गरीबी सर्वविदित है और वह गरीबी प्रोवर्बियल हो गयी है। मुझे इसके बारे में मालूम है कि इन पिछले अनेक वर्षों के अन्दर हमारी सरकार के प्रयत्नों के कारण उनकी दयनीय अवस्था में कुछ सुधार अवश्य हुआ है, कुछ उन्नति अवश्य हुई है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तेजी के साथ उन इलाकों का विकास किया जाना चाहिए, वहां का औद्योगीकरण किया जाना चाहिए और वहां की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। वहां की दर्दनाक गरीबी के कारण ही मां-बाप

[श्री भक्त दर्शन]

मजबूरन अपने बच्चों को इधर नौकरी करने के वास्ते भेज देते हैं । जिस उम्र में कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजना चाहिए था मजबूरन अपना दिल मसोस कर उनको मैदानों में और शहरों में नौकरी करने के वास्ते भेजना पड़ता है । उन बच्चों के मां-बाप जब यहां की कहानियां सुनते हैं तो उनका दिल हिल जाता है लेकिन मजबूरी की वजह से उन्हें अपने बच्चों को यहीं शहरों में छोड़ देना पड़ता है ।

श्रीमन्, श्री बाल्मीकि जी के विधेयक को मैं सही दिशा में एक कदम समझता हूं और उसके पीछे जो भावना है उसका मैं स्वागत करता हूं । वैसे बाल्मीकि जी का नाम लेते ही महर्षि बाल्मीकि का स्मरण हो आता है और मैं समझता हूं कि कम से कम इस विधेयक द्वारा जो उन्होंने पेश किया है इस सदन का ध्यान उन पिछड़े हुए पहाड़ी प्रदेशों की अवस्था की ओर जायगा जहां कि गरीबी की कहानियां सब जगह प्रसिद्ध हैं और जिनकी गरीबी के कथानक सब लोग जानते हैं । मुझे विश्वास है कि इस सदन में जब इस विधेयक पर विचार चल रहा है तो माननीय सदस्यों का ध्यान उन पिछड़े हुए और गरीब इलाकों की ओर अवश्य जायगा और वे सब सरकार पर इस बात के लिये जोर डालेंगे कि उनकी अवस्था को सुधारने के लिये कुछ न कुछ अवश्य किया जाय । इस समस्या के हल के लिये उन पर्वतीय क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा । इस समस्या के हल का असली उपाय यह है कि हम उन इलाकों की गरीबी को दूर करें ताकि इस तरह की समस्यायें पैदा न हों और कम वेतन पर और कम पारिश्रमिक पर शहरों में इतने सस्ते मजदूर उपलब्ध न हो सकें ।

मेरे माननीय मित्र श्री वाजपेयी जी ने यह कहा है कि अगर इस विधेयक की व्यवस्था कर दी गई तो पुलिस हमारे घरों के अन्दर घुस सकती है और मदाखलत कर सकती है । इसके अलावा और भी कई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं । वेतन की दरों के निर्धारित करने के सम्बन्ध में भी कुछ मतभेद हो सकता है वह दूसरी कठिनाइयां भी हो सकती हैं । उसमें सुधार की अवश्य कुछ गुंजाइश है । पर अगर इस विधेयक पर विचार किया जाय तो कोई रास्ता निकल सकता है और वर्तमान धाराओं में संशोधन करके वह सुधार किया जा सकता है ।

श्रीमन, एक और आलोचना इस विधेयक की या इस प्रकार की जितनी मांगें या आन्दोलन हैं, उनके बारे में की जाती है और वह यह है कि अगर हम इस तरह की मांगें करते चले गये, वेतनों की दर बढ़ाते गये या और सुविधायें उनको दी गई तो उनको जो रोजगार इस समय उपलब्ध है वह कम हो जायेगा नौकरी कम हो जायगी और कुछ ही लोग नौकर रख सकेंगे और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी । इसमें कुछ तथ्य जरूर हैं लेकिन मैं उसका स्वागत ही करूंगा । पश्चिमी देशों में सब इस बात को जानते हैं कि वहां पूरे समय के घरेलू कर्मचारी तो होते ही नहीं हैं । वह पार्ट टाइम वर्कर्स या असिस्टेंटस कहलाते हैं । एक आदमी झाड़ू दे जाता है, दूसरा बर्तन साफ करता है और एक तीसरा आदमी बाजार से सौदा वगैरह ला देता है । मैं समझता हूं कि यही कि यही व्यवस्था कुछ दिनों में हमारे देश में और खास कर यहां दिल्ली में, जहां के नागरिक जीवन से हम सब लोग अभ्यस्त हैं, आने वाली है और आती जा रही है । मैं स्वयं इसको देख रहा हूं और हमारे बहुत से संसद् के सदस्य भी इस बात के साक्षी हैं कि पहले यहां लोग फुल टाइम कर्मचारी रखते थे वहां अब लोग अपने घरों में पार्ट टाइम आदमी रखने लगे हैं । लोग यहां पर महरियां रखने लगे हैं, बर्तन उनसे मंजवा लेते हैं और बाकी तमाम काम खुद

अपने आप कर लेते हैं । पर मैं यह जानते हुए भी कि इसका असर जरूर उन लोगों पर पड़ेगा, मैं चाहूंगा कि कोई न कोई इस तरीके का कदम उठाना चाहिए, ताकि अगर इस तरह का घरेलू नौकरी का धंधा उनके लिये बन्द भी होता है तो वे बेकार न रहें और हम उनको किन्हीं दूसरे उद्योग धंधों में खपा सकें । अतः सरकार को उनको उद्योगों व अन्य रोजगारों में लगाने की उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी । यह सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो श्रम मंत्री महोदय हैं या जो श्रम मंत्रालय है वह रोजगार उपलब्ध करने का भी मंत्रालय है और मुझे आशा है कि हमारे मंत्री महोदय इस बात के लिये सोचेंगे कि घरेलू नौकरी के अभाव में हमारे उन लोगों को जो मजबूर होकर अन्य उद्योग धंधों में नौकरी पाने के लिए रुख करना पड़ेगा, उनको उन उद्योग धंधों में खपाने के हेतु आवश्यक प्रशिक्षण आदि देंगे और उनको तरह तरह की दस्तकारियों को भी सिखाने की व्यवस्था की जायेगी ।

श्रीमन, इस अवसर पर एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि इंडियन लेबर कान्फेंस की बैठक मद्रास में २७ जुलाई, १९५९ से लेकर २९ जुलाई, १९५९ तक हुई थी और उसकी रिपोर्ट यहां सदन में रखी गई और उस पर मेरे मित्र श्री बनर्जी के प्रस्ताव पर बहस भी हुई थी । पर मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि चार अखिल भारतीय मजदूर संगठनों ने, साम्यवादी दल द्वारा प्रभावित जो हमारी आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और इसी तरीके से आई० एन० टी० यू० सी० (इंटक) वगैरह इन चारों मजदूर संगठनों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि इस तरीके का कानून बनना ही नहीं चाहिये । अब एक ओर तो वह मजदूरों की भलाई करने वाली संस्था होने का दावा करते हैं और दूसरी ओर अपने ही एक वर्ग के प्रति इस प्रकार उपेक्षा दिखलाना चाहते है, उसकी अवहेलना करना चाहते हैं । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि यहां पर तो रोज आये दिन मजदूरों की दुहाई दी जाती है और उनके पसीने के साथ में अपना खून तक बहा देने का दावा किया जाता है, लेकिन मजदूरों में यह घरेलू कर्मचारियों की जो निम्नतम श्रेणी है उनके प्रति इस प्रकार की अवहेलना और उपेक्षा का व्यवहार किया जाता है । मैं इस अवसर पर चूंकि उनके बहुत से प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं इस सदन के द्वारा यह अपील करना चाहता हूं कि उनको यह देखना चाहिए कि मजदूरों का जो यह एक महत्वपूर्ण वर्ग है उसकी दशा सुधारने के हेतु भी उनकी ओर से कुछ प्रयत्न होना चाहिए । इंटक और ए० आई० टी० यू० सी० को अपनी शाखा संस्थाओं को आदेश देना चाहिये कि उनकी सहायतार्थ सूचना केन्द्र खोले जायें जहां पर कि मजदूरों के दुखों की सुनवाई हो । अगर उनको वेतन समय पर नहीं मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है तो वह सूचना व सहायता-केन्द्र अपनी तरफ से मदद देकर उनके लिए वेतन वसूल करवाने में मदद करें । अगर कर्मचारी बीमार पड़ जाते हैं तो उनकी दवा दारू का इंतजाम करें और इन केन्द्रों द्वारा उनको रोजगार दिलाने की भी व्यवस्था हो ।

श्रीमन, मैं थोड़ा सा ही इस सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं । मद्रास में जो सम्मेलन हुआ था उसमें यह सिफारिश की गई थी कि एक पायलेट कार्यालय दिल्ली में खोला जाय । इसमें हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी और मजदूरों के जो प्रतिनिधि थे उनको भी यह सुन कर बड़ा संतोष हुआ था लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि हमने उनसे जो आशायें की थी वह हमारी आशायें इस पायलेट केन्द्र से पूरी नहीं हुई ।

मैंने ५ दिसम्बर, १९६० को दिल्ली में घरेलू कर्मचारियों के कल्याण केन्द्र की बाबत एक प्रश्न पूछा था । मैंने उस अतारांकित

[श्री भक्त दर्शन]

प्रश्न संख्या १२६८ के खंड (ग) में मंत्री महोदय से यह पूछा था :—

(ग) परामर्शदात्री समिति और कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति से घरेलू नौकरों को कहां तक लाभ हुआ है ?

सरकार की ओर से उस के बारे में यह जवाब दिया गया था—

(ग) अभी इस बारे में कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता ।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दफ्तर है या एक मजाक है ? इस दफ्तर का कम से कम पहला काम तो यह होना चाहिये कि वह इस बात का पता लगाये कि यहां दिल्ली में कितने घरेलू मजदूर हैं, कितना वेतन कम से कम और अधिक से अधिक उन को मिलता है ? किन परिस्थितियों में वे काम करते हैं ? मेरा कहना यह है कि इस तरह के सर्वेक्षण का कार्य तो पूरा कर लेना चाहिये था । जो बुनियादी चीजें सर्वेक्षण की हैं वे तो कम से कम कर ली जानी चाहियें थीं ।

दूसरी बात यह है कि यह जो केन्द खोला गया है उसे घरेलू कर्मचारियों का विश्वास अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है । इसी कारण केवल २०० या २५० लोगों ने ही इस में अपना नाम दर्ज कराया है । बड़ी मुश्किल से कोई १९–२० लोगों को रोजगार दिलाया गया है । अब यह दफ्तर सारे देश के लिये एक मौडेल दफ्तर बनने वाला है और जब इसी तरह के देशों में और केन्द्र खुलने वाले हों तो यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि यह मजाक की चीज न रह जाये । इस को जरा एनरजाइज कीजिये, इस में प्राण भरिये और देखिये कि इस के द्वारा कुछ काम हो ।

श्री बाल्मीकी जी ने कहा है कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है लेकिन उस में घरेलू कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया है । मेरी समझ में नहीं आता है कि जिन के लिये यह कमेटी बनाई गई है और दफ्तर खोला गया है उन का प्रतिनिधि क्यों उस में न लिया जाये और क्यों न उन की आवाज उठाने वाला उस में कोई हो । यह तर्क दिया जाता है कि जो आल इंडिया डोमेस्टिक वर्कर्ज यूनियन है वह रजिस्टर्ड नहीं है । मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूं । लेकिन मुझे बताया गया है कि उस यूनियन ने कई बार प्रार्थना पत्र दिये हैं कि उस को रजिस्टर कर लिया जाये लेकिन हमारे श्रम मंत्रालय की ओर से उस को रजिस्टर नहीं किया गया है । एक तरफ तो रजिस्ट्रेशन करके स्वीकृति नहीं दी जाती है और दूसरी ओर उन के प्रतिनिधि इसलिये नहीं लिये जाते हैं कि वह रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो यह समझ में आने वाली बात नहीं और न ही यह न्यायपूर्ण बात है । मैं चाहता हूं कि इस ओर श्रम मंत्रालय का ध्यान जाये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल दिल्ली में इस तरह का पायलट केन्द्र खोलने से लाभ नहीं होगा । अगर पायलट केन्द खोलने हैं तो हर राज्य में एक एक पायलट केन्द्र तो खोला जाये । कलकत्ता, बम्बई, मदास, लखनऊ इत्यादि बड़े बड़े सैंटर हैं जहां पर घरेलू कर्मचारी लाखों की संख्या में काम करते हैं । वहां पर भी अगर इस तरह के केन्द्र खोले जायें तो कुछ लाभ हो सकता है । अभी जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा कि हर एक राज्य की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं और वहां की परिस्थितियों का अध्ययन हो सके, इस के लिये यह आवश्यक है कि वहां पायलट केन्द्र खुलें । अगर ऐसा किया गया तभी सारे देश के लिये एक फार्मूला निकाला जा सकेगा ।

अन्त में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे श्रम मंत्री जी का सहानुभूतिपूर्ण रवैय्या और उदार दृष्टिकोण सारे देश में प्रसिद्ध है और हमारे उप मंत्री महोदय की कर्तव्यपरायणता सारे देश में विख्यात है,

वे इन अभागे लोगों की तरफ भी ध्यान दें। साथ ही साथ मैं उन से पूछना चाहता हूं कि वे अपने हृदय पर हाथ रख कर के सच्चाई के साथ क्या यह कह सकते हैं, क्या यह कबूल कर सकते हैं कि वे उस ढंग से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिस ढंग से उन को करना चाहिये था। मुझे याद है वह दिन जब कि घरेलू कर्मचारियों के एक नेता श्री श्याम सिंह ने हमारे सदन के सामने भूख हड़ताल कर रखी थी और यह सवाल यहां उठा था तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने, अध्यक्ष महोदय की ओर से यह घोषणा की थी कि अब से उन को कोई कष्ट नहीं होगा, उन के सब दुःख दर्द दूर हो जायेंगे, वे निश्चिन्त हो जायेंगे, और ऐसा कह कर उन्होंने एक प्रकार से सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया था, और माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि वह जो कुछ इन के लिये कर सकते हैं करेंगे। अतः मैं उन्हीं से अपील करना चाहता हूं कि वह सोचें इस बात को कि जो उस दिन इतना गम्भीर आश्वासन उन्होंने दिया था क्या वे लैटर एंड स्पिरिट में उस की पूरी तरह से पूर्ति कर सके हैं, और अगर नहीं कर सके हैं तो उन को चाहिये कि वह उस की पूर्ति करें।

अन्त में एक बात मैं इन मजदूरों से भी कहना चाहता हूं। उन को अपना संयम और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिये क्योंकि मैं इस सिद्धान्त में विश्वास करता हूं "कबहूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान"। अगर वे संगठित रहें और शान्ति से अपना आन्दोलन चलाते रहें तो कभी न कभी हमारे शासकों का दिल जरूर पसीजेगा, और उन की आत्मा अवश्य जागृत होगी।

Ch. Ranbir Singh (Rohtak): As this is a very important Bill, the time may be extended.

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): Every Bill is important. The next Bill is more important than this Bill.

श्री यादव नारायण जाधव (मालेगांव): यह जो विधेयक इस सदन के सामने आदरणीय सभासद ने रखा है और इस को रखने में जो उन का मकसद है, उस मकसद से मैं कुछ हद तक सहमत हूं। आल इंडियन डोमेस्टिक वर्कर्ज यूनियन जो है, उस ने एक छोटा सा पैम्पलेट शाया किया है और उस में इस ने कहा है कि डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स की तादाद हिन्दुस्तान में दस करोड़ के करीब है। इस को देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है।

एक माननीय सदस्य: इस में एक सिफर उड़ा दीजिये

श्री यादव नारायण जाधव: अगर हम हिन्दुस्तान के देहातों में रहने वालों की तादाद को देखें और शहरों में रहने वालों की को देखें तो यह जो घरेलू कर्मचारियों की तादाद दी गई है, वह बहुत बढ़ा चढ़ा कर दी गई है, ऐसा मैं समझता हूं।

अगर हम देश के हालात को देखें और फिर इस सवाल के ऊपर विचार करें तो इस बारे में विधेयक लाने से कुछ असर पड़ेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमारे स्टेचूट बुक पर बहुत से कानून हैं जिन को जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, खोल कर के देखती तक नहीं है। उस की तरफ से उन कानूनों को इम्प्लेमेंट करने की कोशिश तक नहीं की जाती है। यही हाल इस बिल का अगर यह पास हो जाता है होने वाला है।

यह सही है कि यह जो सवाल है इस की तरफ हमारे देश के काफी लोगों का ध्यान गया है। इस के ऊपर किताबें भी शाया हुई हैं। हमारे आदरणीय सदस्य श्री वाजपेयी जी ने जो एक बात कही है, उस से मैं अपनी सहमति प्रकट करना चाहता हूं। उन्हों ने कहा है कि इस संसद की एक ऐसी समिति बननी चाहिये जो इस प्रश्न पर कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश करे और इस सवाल को हल करने के लिये एक पक्का देश के सामने और सरकार के सामने रखे।

[श्री यादव नारायण जाधव]

हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा कि इन लोगों को जो लोग रखते हैं, उन की इनकम क्या है। हमारे सामने दिल्ली का नक्शा है। बाल्मीकी जी ने कहा और उन के भक्त श्री भक्त दर्शन जी ने भी कहा कि दिल्ली का जो नक्शा है जो कि हमारे सामने है यह दिल्ली का नक्शा सब जगह नहीं है, सब जगह दिल्ली नहीं है। जो सर्व-साधारण आदमी हैं जिन की आमदनी कम होती है उन में जो मियां और बीवी होते हैं वे दोनों ही अगर काम पर नहीं जाते हैं तो उन का संसार चल नहीं सकता है। जब दोनों को मजबूर होकर काम पर जाना पड़ता है तो उनके लिए यह भी लाजिमी हो जाता है कि वे किसी घरेलू मजदूर को रखें। ऐसी सूरत में अगर घरेलू कर्मचारियों के लिये कोई वेतन श्रेणी तय की जाती है और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की जाती है, तो यह किस हद तक कामयाब हो सकता है, इसे हमें देखना पड़ेगा। जहां तक घरेलू कर्मचारियों के लिये सुविधायें मुहैया करने की बात है, वे उनको जरूर मिलनी चाहियें। इस बारे में मैं एक बात खास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों की आमदनी, जिन घरेलू कर्मचारियों की आमदनी, पचास रुपये या या चालीस रुपये माहवार से कम है, उनकी जो मूलभूत गर्ज है, उसको वह पूरा करे। हमारे देश में जिन लोगों की आमदनी सौ रुपया या दो सौ रुपया माहवार है, उनके रोजमर्रा के जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के बाद उनके पास क्या बच रहता है और घरेलू कर्मचारियों की जो आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति क्या वे कर सकते हैं, यह सोचने की बात है। मुझे बताया गया है कि उनको खाना दिया जाता है और उसके बाद पैसा दिया जाता है। जहां पर एक घर में पांच छः लोगों के लिए खाना बनता है वहां उस में एक आदमी के लिए खाना निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है और खाना वे दे सकते हैं। लेकिन जब कैश पैसा देने की बात आती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर यह बिल पास हो जाता है और एक खास रकम उनको माहवार देने की बात तय हो जाती है तो क्या वे दे सकेंगे, यह यह सोचने की बात है।

कहा गया है कि उनको मैडीकल रिलीफ मिलना चाहिये। मैं मानता हूं कि उनको मिलना चाहिये। आपने कंट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम चालू की है। उसके लिये आप मेम्बर्ज से और गवर्नमेंट सर्वेंट्स से पैसा लेते हैं। हमारे कई माननीय सदस्यों की फैमिलीज यहां नहीं होती हैं और कई मैम्बर तो ऐसे होते हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन पैसा उनको देना पड़ता है। मैं कहूंगा कि मैम्बर्ज से और गवर्नमेंट सर्वेंट्स से जिन में कि कुछ हाईली पेड भी हैं, जब पैसा लिया जाता है और उनकी फैमिलीज को भी यह सहूलियत दी जाती है तो इसका लाभ उनके जो सर्वेंट्स हैं, उनको भी मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें। स्टेट्स में भी ऐसा हो सकता है।

जहां तक काम के घंटों का सम्बन्ध है, घरेलू मजदूरों का प्रश्न ऐसा है कि उनके काम का समय मुकर्रर कर देना एक मुश्किल सी बात होगी। क्योंकि दो घंटे काम करने के बाद उनको पांच छः घंटे छुट्टी मिलती है, फिर दो घंटे काम करना पड़ता है, फिर दो घंटे काम करना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि घरेलू काम करने वाले आदमी को सब मिला कर आठ घंटे से ज्यादा काम करना पड़ता है। यहां यह बात भी कही गई है कि उनको बीस बीस घंटे काम करना पड़ता है, ऐसी बातें रखने से हम जो केस गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं उसका कोई असर होने वाला नहीं है।

हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे इस तरह के विधेयक को लाने का फल क्या हुआ? मैं कहना चाहता हूं कि इन सेवाओं की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित हो, इसके लिये

इस तरह के विधेयक लाना जरूरी है । हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि जब तक उसके सामने कोई बात कही न जाय तब तक वह जिन्दा नहीं होती है । उन्होंने कहा कि यह गवर्नमेंट ऐसी है कि उस पर किसी बात का असर नही होता । मैंने देखा है कि कोई कोई सवाल ऐसे होते है कि जब माननीय मेम्बर यहां उस पर ठोंगा लगाते हैं तभी गवर्नमेंट उन की तरफ देखती है । यहां पर हर आर्गेनाइजेशन अपनी मांग रखते हैं । जो हमारे सही हालात है उनका नक्शा गवर्नमेंट के सामने हमें रखना चाहिये और गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करनी चाहिये । पाइलट आफिसेज के बारे में जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा है या इस तरह की जो दूसरी बातें होती है, उनकी तरफ गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये और जो हमारे मजदूर हैं उनके लिये आज की हालत में वह क्या कर सकती है इस को देखने की कोशिश करनी चाहिये । अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो बहुत अच्छा है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित अनुसूचित जातियां) . सभापति महोदय, सरकार ने जो समिति बनाई है इन घरेलू कर्मचारियों के लिये, मुझे यह कहना पड़ता है और सदन को सूचित करना पड़ता है कि उसका एक सदस्य मैं भी हूं । स्पष्ट है कि जो समिति बनाई गई थी उस के अन्दर सरकार का इरादा यह था कि इस बात की छानबीन की जाय कि घरेलू कर्मचारियों की दिक्कतें क्या हैं और इसका निर्णय किया जाय कि सरकार उनके लिये क्या कार्रवाई कर सकती है जैसा कि मेरे मित्र श्री भक्त दर्शन जी ने कहा कि एक कार्यालय है । उस कार्यालय में ही एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का एक केन्द्र नई दिल्ली में है । उस केन्द्र के साथ एक इन्स-पेक्टर को नियुक्त कर दिया गया है कि तुम देखो कि इसमें सरकार को क्या करना है । इसके अतिरिक्त एक एम्प्लायमेंट अधिकारी को पार्ट टाइम नियक्त कर दिया गया कि वह अपने काम के साथ इस काम को भी देखें । जो कमेटी बनाई गई उसमें तीन सदस्यों को रक्खा गया । उस में मेरे अलावा दो और साथी हैं । उस कमेटी की कई मीटिंगें हुईं और और सब सदस्यों ने अपने अपने अलग अलग सुझाव दिये । जैसा भक्त दर्शन जी ने कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं वे दूसरे मजदूरों के हितों के सम्बन्ध में तो बात करते हैं, किन्तु जहां घरेलू कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई बात आती है, वहां वे मौन हो जाते हैं । यह बात सत्य है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कारण मालूम हुआ वह यह है कि किसी कारखाने में जो लोग काम करते हैं वे बालिग होते हैं और उसके मुताबिक उनको अधिकार होते है । जो हमारे घरेलू कर्मचारी हैं जब उनको मदद पाने का अधिकार प्राप्त होता है तब तक वे अपने काम को छोड़ गये होते हैं । इसलिये जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वे मजदूरों के हितों के लिये कितने ही हमदर्द होते हों, वे यह जानते है कि उनके पास वोट नहीं है, और चूंकि उनके पास वोट नहीं, इसलिये उन के हितों के बारे में सोचना क्या ? मै बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आज घरेलू कर्मचारियों के पास वोट के अधिकार होते तो उन की तरफ राजनीतिक दल अवश्य पहुंच जाते ।

मैं जब इस समिति का सदस्य बना, तो मैंने इसमें निजी रूप से काफी जांच पड़ताल की । मैंने उसमें देखा कि बहुत से परिवार तो ऐसे हैं जिनमें उनके और उनके घरेलू कर्मचारी के सम्बन्ध ऐसे हैं जैसे पिता और पुत्र के सम्बन्ध होते हैं । वे उनको अपनी सन्तान की तरह से रखते हैं, पालते हैं, उन के सुख दुःख का खयाल रखते हैं । फिर भी थोड़ा अन्तर जरूर होता है । बहुत से परिवारों में मैंने यह भी देखा कि जब शाम के समय स्वामी आते हैं तो उन कर्मचारियों को भी वे बुला लेते हैं और पढ़ाते हैं । मुझे यह भी मालूम हुआ कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरेलू कर्म-चारी को मैट्रिक पास करवा कर और अगर

[श्री नवल प्रभाकर]

नौकर करवा दिया । यह सब सही है किन्तु ऐसे भी बहुत से परिवार हैं जो अपने घरेलू कर्मचारी को इन्सान नहीं समझते, उसके लिये यह भी नहीं सोचा जाता कि वह कब उठेगा, कब खाना खायेगा और कब सोयेगा । यह प्रश्न हमारे सामने है । यह नहीं सोचा जाता कि वह निरीह बच्चा जिसकी उम्र चौदह, पन्द्रह या सोलह साल की है, उसकी क्या हालत होगी । जरा कल्पना कीजिये, सवेरे चार या पांच बजे उस को उठना पड़ता है, उसके बाद उस को घर की सफाई करनी होती है, जब घर के लोग उठते हैं तो उनको घर साफ मिलना चाहिये, उसके बाद जैसे जैसे घर के लोगों की जीवनचर्या शुरू होती है, वैसे वैसे उसका काम भी होता है । चाय के बर्तन मांजने से लेकर खाने के बर्तन मांजने तक । चाय बनाना भी उसी में शामिल है और दूसरे काम शामिल हैं । अगर इस बीच में बच्चा रोने लगा तो मां निदेश दे देती है कि बच्चा खिलाओ । जब बाबू साहब सुबह दफ्तर चले जाते हैं तो उसके बाद और घर के काम शुरू हो जाते हैं । और इस तरह से जो जीवन सवेरे चार या पांच बजे शुरू होता है वह रात के दस बजे तक चलता रहता है । रात को जब सब लोग सो जाते हैं उसके बाद भी अगर बच्चा कहीं रो पड़ा जाग कर तो गृहणी कर्मचारी को जगा कर कहती है कि इस बच्चे को खिलाओ । आखिर वह कर्मचारी भी तो बच्चा है, उसकी अवस्था का आप अन्दाजा लगाइये, वह भी तो सोना चाहता है । आराम करना चाहता है । लेकिन उसके काम के घण्टे कोई निश्चित नहीं हैं । वह ऊंघता दिखाई देता है तो उसके दो थप्पड़ भी मार दिये जाते हैं ।

कर्मचारियों की स्थिति पर कमेटी में बहुत वाद-विवाद हुआ, इस पर सोचा गया । एक सुझाव आया उसके अन्दर कि कुछ परिचय पत्र बनाये जायें और हर कर्मचारी को रजिस्टर किया जाय । । घरेलू कर्मचारियों को रजिस्टर कर के उसके पिछले पते वगैरह सब लिखे जायें क्योंकि आम तौर पर यह देखा गया है कि उन में से चोर भी होते हैं, सामान भी उठा ले जाते हैं, भाग भी जाते हैं और उनका कोई पता नहीं लगता है । इसका विरोध भी किया गया कि साहब, उनसे परिचय पत्र क्यों लिया जाय । जो लोग उनको नौकर रखते हैं उन का यह कार्य होना चाहिये कि वे बतलायें कि हमारे यहां एक कर्मचारी है जिसका अमुख अमुख नाम है, और इस इस जगह का रहने वाला है, और उनको जाकर रजिस्टर करायें । तो यह बात भी नहीं मानी गई । इस तरह से बहुत सी बातें वहां सोची गईं, बहुत से पहलुओं पर विचार किया गया, किन्तु किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा गया । मैं चाहता हूं कि सरकार और यह संसद् एक स्पष्ट निदश दे ताकि उन निदशों के प्रकाश में जो समिति सरकार ने बनाई है वह कार्य कर सके । जब तक यहां से कोई निदश नहीं जायेगा तब तक वह समिति काम करने में, मेरे खयाल में, अपने को निकम्मा पा रही है । मैं चाहता हूं कि इस समिति को और अधिकार दिये जायं । वे लोग मुहल्लों में जाकर उनकी अवस्था को देखें और अलग अलग शहरों का चूंकि अलग अलग स्टैण्डर्ड होता है इसलिये उन जगहों की व्यवस्था को भी देखें ।

जो वेतन मान बाल्मीकि जी ने रक्खा है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि एक साधारण परिवार के लिये घरेलू कर्मचारियों को रखना बहुत कठिन है । लेकिन यह भी सही है कि घरेलू कर्मचारी वही रख सकते हैं जो सुख और आराम चाहते हैं । उनकी पत्नी जो होती हैं वे चूल्हा नहीं फूंक सकती हैं, अंगीठी नहीं जला सकती हैं, बरतन नहीं मांज सकती हैं, कपड़े नहीं धो सकती हैं । इन के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं । जब वे समझती हैं उन को घर में आराम करना है, तो उन को कुछ न कुछ कुर्बानी करनी ही होगी ।

मैं संसद का सदस्य हूं लेकिन मैं ने अपने घर में कोई नौकर नहीं रखा है । हम अपना काम स्वयं करते हैं । इसी तरह से जो लोग समझते हैं कि हम नौकर का बोझा नहीं उठा सकते उनको उसका बोझा नहीं उठाना चाहिये । लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने यहां नौकर रखना चाहते हैं और उसका बोझा उठाना चाहते हैं । दूसरे देशों के आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं । उनमें घरेलू कर्मचारियों के वेतन निश्चित हैं, उनके काम के घंटे निश्चित हैं और उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है । यही व्यवस्था यहां भी होनी चाहिए । हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए । मैं कहता हूं कि आप और सब बातों को छोड़ दीजिये, केवल इस दृष्टि से इस इन पर विचार कीजिये कि आपकी औलाद हो और उसकी ऐसी हालत आ जाये कि उसको घरेलू कर्मचारी का काम करना पड़े, तो आप उसके लिए कितनी देर का काम चाहेंगे । तो मेरा कहना है कि इस पर आप मानवता के विचार से सोचें, इस विचार से सोचें कि ये घरेलू कर्मचारी भी हमारे देश के बच्चे हैं, और उनको अपने बच्चों की दृष्टि से हमको देखना चाहिए । हम को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अलग हैं और ये कोई अलग लोग हैं जैसे कि कुछ मैदान के भाई सोचते हैं कि यह पहाड़ का है यह मुंडू है । इस प्रकार का खयाल नहीं करना चाहिए । अगर पहाड़ का है तो क्या वह देश का नहीं है । अगर आज वह बिगड़ता है तो देश का एक नागरिक बिगड़ता है, देश का एक भावी नागरिक बिगड़ता है । मैं यह भी जानता हूं कि जिन घरों में शराब या सिगरेट पी जाती है उस घर के कर्मचारियों में भी वह बुराई आ जाती है और उस परिवार में रहने से उसको यह नुकसान भी होता है । मैं चाहता हूं कि संसद इस प्रश्न पर स्पष्ट निर्देश दे ।

श्री भक्त दर्शन जी ने कहा कि जो समिति बनी हुई है उसमें घरेलू कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है । मैं भी चाहता हूं कि उनका कोई प्रतिनिधि उसमें हो, लेकिन उनकी यूनियन रजिस्टर्ड नहीं है । मैं ने मालूम करने की कोशिश की क्यों रजिस्टर्ड नहीं है, तो पता चला कि उसके कायदे कानून ही ठीक नहीं हैं । मैं ने कोशिश की कि उनको रजिस्टर्ड कराया जाये लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है । मैं चाहता हूं कि उनकी यूनियन रजिस्टर्ड हो और उनका एक प्रतिनिधि उस समिति पर हो, और संसद भी इस बात को सोच कर एक निर्देश दे कि वे भी इन्सान हैं और उनके साथ मानवता का व्यवहार होना चाहिए । हमें इस प्रश्न पर मानवता की दृष्टि से विचार करना चाहिए ।

Shri J. B. S. Bist (Almora): Mr. Chairman, Sir, I think the object of this Bill is laudable, as far as it tries to bring good circumstances in the lives of people who are working as domestic servants. How far this kind of legislation is going to actually help.

Shri S. M. Banerjee: Why don't you move an amendment?

Shri J. B. S Bist: I do not know how far the amendment is going to help also. When the structure cannot help, amendments do not arise at all. I believe—and it is a fact—that most of these domestic servants hail from the hills. Why? It is because the economy there does not provide them with sufficient means of living, so that they may pass their lives in their homes and need not seek employment outside. The question seems to be absolutely and purely economical. The remedy lies, in raising the economy of those areas from where these people come, that they may find themselves so placed that it would not be necessary for them to be forced to go out and take up the job of domestic servants.

As I was saying the other day in a speech of mine, the economy of the hills do need reorientation. But even in the hills there are certain portions from where you do not get domestic servants. What I say is that we have

[Shri J. B. S. Bist]

first, if we are to solve the problem finally, to tackle the problem which lies at the root. The remedy seems to be to introduce in those areas in the hills small industries. They need be of a simple type, and should be able to absorb people into them so that the condition of the people there would be improved.

I may submit that even in advanced countries there may be domestic servants; but they are not of that category to which our domestic servants belong. The reason is that the standard of economy there is higher and in those circumstances the lives of the domestic servants would also be better. Similarly, people who employ them are also of that type that they behave themselves in such a manner as not to hurt them. So, these conditions do not exist there.

I do not think it is the intention of any hon. Member of this House that these domestic servants should be a living institution and continue to exist. That is not what will solve the problem. How is any law that is passed going to be enforced? Who is going to be the witness in that house. A quarrel takes place between the domestic servant and the housewife. As the previous speaker said, some of them are very good; some masters also are very good. Then the domestic servant quarrels with the wife of the person. What is going to happen? He will be creating another trouble. How will all this be managed? In spite of our good desires, which we are trying to express in this House, these are difficult problems. I feel that it is high time that Government should raise the economy of those areas from where most of these people come, so that the root of the problem is tackled and domestic servants become rarer and rarer.

In advanced countries I think most people use these mechanical gadgets. And with the increased progress of industry, I think we would also begin to follow suit. When people get used to these mechanical gadgets, domestic servants would not be needed. But then, we have these people still to deal with. If they will not be engaged as domestic servants, what is going to happen to them? I personally feel that this is a problem where you have to deal with quite a huge group, who because of the lack of means of livelihood in the hills and because they are poor, are doing this job now. And unless we tackle the root cause, as I have submitted earlier, there will not be the desired result. We have to do something else. We have to place them somewhere, or we have to take them somewhere else. Something has to be done. Otherwise, they are all citizens of India, and if they go astray it will be a loss to the nation also.

With all my good wishes, I still doubt how far this piece of legislation will be able to help in solving the actual difficulties of these people. I only wish that a solution could be found by Government by which everything could be settled in a more pleasant way.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Mr. Chairman, I congratulate Shri Balmiki for bringing forward this Bill. He has been interesting himself in the lot of the scavengers so far, and I am very happy that he has now taken up the cause of the domestic servans also.

Ch. Ranbir Singh: Progress!

Shri D. C. Sharma: I hope that with his continued interest in both these problems the situation for these two types of workers will improve.

I would also make an appeal to the hon. Minister of Labour. I would ask him not to treat this Bill as an ordinary piece of legislation brought forward by a private Member which has to be treated with a big "No". I would request him to accept at least the substance and spirit of this Bill and to find out ways and means of implementing the fine points that are given in this Bill.

Shri Narayanankutty Menon: What are those points?

Shri D. C. Sharma: My third point is this. Two or three days ago we were discussing the Shop Assistants Bill. If we have given every worker a chance in Free India, the landless labourer, the agricultural worker, the factory worker, the shop assistant, if we have given all these different types of workers a chance in Free India, there is no reason why a domestic worker should also not be treated in the same way as those workers.

It will be said that this is a question which has got something to do with the States. I know that that will be one of the things which will be put forward against this Bill. Well, then, why do we have the Minister of Health here and why does he give model Bills for local self-government or why does he give us model Bills for other things?

An Hon. Member: It is a concurrent subject.

Shri D. C. Sharma: What I mean to say is this: where there is a will, there is a way. I think this Bill should be treated with that amount of seriousness which it deserves and that, if nothing else, the Labour Minister should bring forward a model Bill which should be forwarded to the States for implementation. But the initiative for it must come from the Central Ministry.

Of course, I visualise a day when there will be no domestic servants left in India. That day is not far off, and I am sure that that will be a very happy day for my country. There was a time when the domestic servants in my part of the country used to come from a particular district. They all belonged to that district or districts. Two or three districts were the reservoirs for the supply of these domestic servants. But now I find that no servants come from those districts.

Shri Hem Raj (Kangra): Why not? They are still there.

Shri D. C. Sharma: The reason is that in those districts we have put up big projects, and all those persons who were available for this kind of work now go and work in those projects. Therefore we do not find many domestic servants from those districts. Therefore, the best way of solving this problem is that in the hilly parts of my country, from which most of these persons come, we should put up some fine and big projects, so that all the available labour that has to come to Delhi or other cities in India for finding this kind of employment finds employment there itself. That is the positive approach to this problem.

But so long as domestic servants are there I think we have got to do something for them. What are we going to do? In this Bill I find that there are only three provisions for them. There is the provision of registration, there is provision of inspection, and there is provision made for their salary, leave and other things. I believe that registration is a good thing. But I think that this automatic inspection by persons of the rank of Sub-Inspertor of Police is not going to be very helpful. I think this will be a kind of nuisance for those persons who employ the servants and also mean a lot of trouble for the domestic servants. Anyhow, this kind of inspection may be kept, but it should be done at a level higher than what is provided for in this Bill. So far as the wages provided in the Bill are concerned, they are reasonable wages. Perhaps some people will say that they are not normal and fair wages. I think that so far as wages are concerned and so far as the rules for leave and other things are concerned, they should also be put on a more stable basis than what they are at present. For instance, I find that there are some households where the servants do not get employment only for the sake of wages: they are given clothes also, they are given other amenities also. All these things have got to be looked into.

I met some of the members of the Union of Domestic Workers to which a reference has been made by some of

[Shri D. C. Sharma]

my hon. friends, and they have detailed their grievances to me. They have said to me that they do not get their salaries regularly; that they do not have proper shelter, at least in winter; that they have to do work which is very excessive having regard to their physical strength. They have told me all these things. All these things have got to be looked into and we have to see to it that these domestic servants also have that kind of leave which others have.

I know what the fate of this Bill is going to be. I know that very well. In this connection I wish to say that so far as employment is concerned, the advisory body which is there should be made a legal advisory body. This kind of advisory body is no good to anybody. It is not good to those who serve on it or to those for whom it is meant. Therefore the advisory body should be reconstituted, and I think the sooner it is done the better. But one thing I want to point out to the hon. Minister . . .

Shri Narayanankutty Menon: Where is the hon. Minister?

The Minister of Steel, Mines and Fuel (Sardar Swaran Singh): I am sitting here.

Shri Narayanankutty Menon: The Minister of Steel has taken the Labour portfolio?

Shri D. C. Sharma: So far as the spirit of the Bill is concerned it has already been conceded by everybody. A gentleman went on strike and there were questions in this House, and something was done as a result of that. So the spirit of the Bill has already been accepted. It was as a result of the hunger strike of Shri Syam Singh that the advisory committee was formed. He has already done some good work for these persons and he has already got the Government to accept that spirit. What is now required is to give legislative garb to that spirit, and I hope that the hon. Minister will not come forward and say "I request Shri Balmiki to withdraw this Bill", and that the hon. Member will have to withdraw the Bill. He may withdraw the Bill. But what I say is that the spirit and substance of the Bill should be accepted by the Government. And Government should bring forward a Bill which is more comprehensive and which enshrines the spirit of the Bill of Shri Balmiki. I believe that this is a Bill which concerns lakhs of persons, and which concerns most of the homes in Delhi and most of the homes in my country. I think that the Bill concern most of those persons whose income is more than Rs. 300 or Rs. 400 a month. This Bill is going to be a very sweeping legislation so far as these persons are concerned. I, therefore urge that this Bill should be treated with the utmost care and attention, and something should be done to improve the lot of domestic servants.

16 hrs.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति महोदय, जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत है मैं उस के पीछे जो भावना उस से पूर्णतया सहमत हूं और उस का स्वागत करता हूं । इस विधेयक के पक्ष में दो तरह के लोग बोले । कुछ तो चाहते हैं विधेयक में कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन उनकी छुट्टियों और उन की तन्वाह आदि के सम्बन्ध में सीधी व्यवस्था कर दी जाय और इस के लिये कोई कानून बना दिया जाय । कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस विधेयक की भावना से सहमत हैं, और घर के कर्मचारियों की जो दयनीय दशा है उस में वे सुधार चाहते हैं, उन की परिस्थितियों से प्रभावित हैं किन्तु व्यवहारिकतयों के नाम पर,यह सम्भव नहीं है, इस के नाम पर, चाहते हैं कि इस तरह का विधेयक पास न हो। साथ ही उन का यह भी कहना है कि अगर कानून बन जाय लेकिन

उसको लागू न किया जाय तो उसके बनाने का कोई मकसद नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जो लोग इस विधेयक की भावना से प्रभावित हैं और उसकी कद्र करते हैं लेकिन साथ ही साथ चाहते हैं कि उन की भावनाओं को कार्यान्वित न किया जाय, उन के अनुसार कोई कानूनी व्यवस्था न हो, मैं ऐसे व्यक्तियों को उसी कोटि में रखता हूं जो इस विधेयक का विरोध करते हैं । जहां तक व्यवहारिकता और विधेयक को लागू करने का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार चाहे तो वह इस को लागू कर सकती है । जिस कानून को लागू करने के लिये सरकार तत्पर होती है वह लागू हो जाया करता है, और जिस पर वह तत्पर नहीं होती वह लागू नहीं होता । मैं यही कहूंगा अगर सरकार चाहती है कि ऐसा कानून बने तो वह बना भी सकती है और उस को लागू भी कर सकती है ।

जहां तक माननीय श्री शर्मा जी ने यह कहा कि श्री बाल्मीकी इस विधेयक को वापस ले लें और सरकार कोई कानून बना रही है, मैं भी इस से सहमत हूं । अगर हमारे मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं कि वह इस सम्बन्ध में कोई ऐसा विधेयक रखेंगे जिस में इन सारी बातों का समावेश होगा और इस समस्या का हल होगा, तो मैं भी इस सुझाव को पसन्द करूंगा और मैं भी माननीय प्रस्तावक महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस को वापस ले लें । लेकिन शर्त यही है कि माननीय मंत्री महोदय कोई दूसरा विधेयक लाने का आश्वासन दें ।

मैं जब दूसरे विधेयक को लाने की बात करता हूं और माननीय सदस्य से उस को वापस लेने की बात करता हूं तो इस दृष्टिकोण से कि इस विधेयक में कई बातें त्रुटिपूर्ण हैं, कई खराबियां उन में हैं । माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था यह रखी है कि घरेलू कर्मचारियों का वेतन ३० और ४० रु० मासिक हो । लेकिन घरेलू कर्मचारियों को भोजन आदि की जो सुविधा मिलती है उस का इस में कोई जिक्र नहीं है । इस का मतलब यह भी हो सकता है कि कर्मचारियों को ३० या ४० रु० वेतन तो मिले, लेकिन भोजन न मिले । अगर उन को भोजन नहीं मिला तो यह विधेयक जिन लोगों के लिये बनाया जा रहा है उन को कुछ देने के बजाय उन से कुछ ले ही लेगा । इस लिये इस की व्यवस्था इस विधेयक में होनी चाहिये ।

दूसरी चीज यह है कि इस विधेयक में पंजीकरण की बात रखी गई है । उस के अन्तर्गत यह है कि जो पंजीकरण न करायें उस को २५ रु० जुर्माना देना होगा । लेकिन इस विधेयक में कुछ ऐसी विशेष धारायें हैं जिन की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस में धारा ६ है जिस में सप्ताह में २४ घंटों के लिये छुट्टी की व्यवस्था है और साथ में यह भी है कि वेतन में कटौती न हो । इस छुट्टी की धारा के साथ ही धारा १० में यह दिया गया है कि हर महीने के प्रथम सप्ताह में कर्मचारी का वेतन मिल जाय तथा नौकरी से हटाने के बाद तीन दिन के अन्दर उस का वेतन मिल जाय । इसी तरह से धारा ११ उन की न्यूनतम तन्खाह के बारे में है । लेकिन अगर इन उद्देश्यों का इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा नौकर रखने वाले उन का पालन नहीं करेंगे, तो उस के लिये कौन सी व्यवस्था है ? उन पर अमल न होने पर क्या होगा इस का हमें पता नहीं । जहां तक पंजीकरण का प्रश्न है, उस के लिये तो २५ रु० जुर्माने की बात लिख दी, अगर उस का पालन न किया जाय, जिस का इतना महत्व नहीं है, लेकिन अगर नौकर रखने वाला ३० या ४० रु० तन्खाह के न दे, हफ्ते के अन्दर एक छुट्टी न दे, दस घंटे से अधिक काम ले, तो ऐसे मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : रख दीजिये ।

श्री राम सेवक यादव : होनी चाहिये । इसलिये मैं कहता हूं कि इस विधेयक को पास

[श्री रामसेवक यादव]

करने में कठिनाइयां हैं । जब तक विधेयक में इस तरह की बातों की व्यवस्था नहीं होती तब तक इस विधेयक के पास होने पर भी माननीय सदस्य की मंशा पूरी नहीं होती । मैं जानता हूं कि मतदान इस विधेयक पर नहीं होने जा रहा है क्योंकि माननीय प्रस्तावक महोदय मंत्री महोदय की आंख से आंख लगाये रहेंगे, जैसे ही उन को इशारा मिलेगा, वे यह कह कर बैठ जायेंगे कि वे इस को वापस लेते हैं ।

श्री वाजपेयी : नहीं वे वापस नहीं लेंगे ।

श्री रामसेवक यादव : लेकिन मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वे सदन को इस बात का आश्वासन दें कि वे घरेलू कर्मचारियों के वास्ते, जिन की हालत बहुत खराब है, एक विधेयक लायेंगे । बिना विधेयक आये हुए घरेलू मजदूरों का हित नहीं हो सकता है । यह बात सही है कि हम ने ऐसे मालिकों को भी देखा है जो अपने मजदूरों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा खाना भी खिलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं लेकिन यह विधेयक उन मालिकों के लिये है जो अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा और कहीं कहीं अमानुषिक व्यवहार करते हैं । यह जो विधेयक आयेगा वह उन को रोकने के लिये होगा । मंत्री महोदय ऐसा विधेयक लायें जिस में इस विधेयक की जो खामियां हैं वे दूर हो जायें । आज सारे देश में लाखों की संख्या में घरेलू मजदूर हैं उन की दयनीय दशा है । कभी कोई नौकर रखा और फौरन ही उस को निकाल दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि तन्खाह नहीं दी जाती है, उन का सामान मालिक लोग ले लेते हैं और वे चिल्लाते रहते हैं । उन को सुविधा तो नहीं मिलती लेकिन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । उन की स्थिति में सुधार हो । समस्या के जो भी पहलू हैं, नौकरी और तन्खाह से ले कर छुट्टी आदि तक के लिये माननीय मंत्री विधेयक लायें और इस समस्या को समूल नष्ट करें ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि आगे चल कर यह समस्या रहेगी ही नहीं, वह समय जल्दी आने वाला है । लेकिन मैं श्री वाजपेयी के इस विचार से सहमत हूं कि वह समय जल्दी नहीं आयेगा । इस समय तो वह आने वाला है ही नहीं । मुझे तो यह भी नहीं मालूम है कि वह समय आयेगा भी या नहीं । आये या न आये, लेकिन जो समस्या इस वक्त है उस का समाधान हम को करना है । हमारे यहां अगर इस समस्या का समाधान न किया गया तो यह कोई अच्छी बात नहीं होगी ।

मैं अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे ऐसा विधेयक लायें जिस से यह समस्या हल हो सके ।

Mr. Chairman: May I know from the hon. Minister how much time he is likely to take to reply?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): About 25 minutes.

Shri Tyagi (Dehra Dun): I will finish soon.

Ch. Ranbir Singh The time may be extended.

Shri Tyagi: I thank my hon. colleague who has brought forward this Bill for the simple reason that he has drawn the attention of this House, and through this House of practically the whole nation, to this problem. There is no doubt that domestic servants have remained neglected for a long time. Most of them are exploited for their poverty and on account of unemployment. The whole problem hinges on the problem of unemployment. If there was fuller employment available in India, the condition of domestic servants would automatically improve, and improve to a great deal. So long as there is surplus labour and people are wanting employment, naturally domestic servants also will lose their market value. But the domestic servant is a very important factor in a family.

When I think of the domestic servant, my mind immediately goes to my own boy. I cannot really acknowledge how dutifully and faithfully he has served me for the last 20 years. I owe quite a lot of even my political career to him, because I am absolutely free from my worries. He looks after practically everything. He washes my clothes and does everything for me. For the last 20 years,punctually at half past five every morning, he has been offering tea to me. He has really enslaved me. The urge in my mind is that before I die, I must make some arrangement for him and his family; otherwise, I would not really pay him.

I owe so much to him. The domestic servants know all secrets of your domestic life, including how you are behaving with your wife and children. They are the custodians of one's domestic life, the most private life and therefore, they are a very intimate factor of a family. We are for a socialist pattern. I appeal to the hon. Prime Minister who is more amenable to such types of appeals. Perhaps the other hon. Ministers and also Members of Parliament will agree to this. Let us give a trend to a new type of behaviour to our domestic servants. Let us eat with him on the same table. (*An Hon. Member*: Without any legislation?) Yes, without legislation. Let him not feel that he is inferior in any way. Let him become a regular member of our family. If he is so treated, no legislation would be needed. This could be done more by inspiration. We can inspire the nation by our own behaviour and perhaps people will take this trend if we decide to treat our servants on a par with us.

As far as cooking is concerned, it is really a very different type of job. I wish I were your domestic servant really, and particularly, Sir, your cook. I would give you very good dishes. It is a nice job. When one cooks, one gets engaged.

Then again, a domestic servant faces all the adversities of the family. My fears are that if a law were to come, there may not be this type of intimate relationship; it will be disturbed. At the same time, I am of the view that some protection against misbehaviour must be given. There is no regular amendment to this Bill but I would suggest that the Government must see to it that in every locality there is some sort of a conciliation board created which could have the authority to intervene whenever any domestic servant has a complaint against an employer. There may be some honorary magistrate or some such people who have authority to intervene whenever there is any complaint. After all, not enacting a law means also leaving the domestic servant at the risk of the employer. They may misbehave with him or maltreat him. Therefore, he must have some place where he could appeal. There are people who, for instance, do not pay his salary. So, there should be local authority to call the employer and listen to the complaint of the domestic servant in a formal and informal manner. Some guarantee is needed. I agree with the anxiety of the hon. Members that something must be done for domestic servants. But the picture is not as bad as people make it to be. Domestic servants are mostly having a happy life; they are part and parcel of the family and only a general type of protection need to be given. But we need not go to the extent of enacting drastic laws. In human society, the relationship cannot be guided by laws alone. The domestic servants have a close relationship with the employer and it cannot be guided by laws, bylaws, rules etc. Otherwise, domestic life would become a curse in India if it is restricted and it is to be guided by rules.

Shri Narayanankutty Menon: But the real domestic life is governed by laws.

Shri Tyagi: That too is not. The relationship between my friend and his wife is not legal; I do not call it illicit . . . (*Interruptions.*) Is there no emotional attachment to each other? Likewise the servant's relationship with the master or his employer is more emotional in nature . . . (*Interruptions.*)

Shri Tangamani (Madurai): Our relationship will create laws.

Shri Tyagi: Sometimes my communist friends are very queer. They may sometimes come out with a suggestion that the wife's and husband's relations must also be guided by law. They want that there must be bedroom manners prescribed by a statute. How can it be done? They are always contractual in their behaviour. That is my difficulty. My feeling is that the relationship must be one of love and affection. Love is never guided by law. Love is blind as far as law is concerned. It is also at the same time sublime.

So, I appeal to that affection and that love in society. I wish that we set an example by just making a sort of ethical rule of behaviour, that is, we must behave with our domestic servants as we do with our own brothers.

Mr. Chairman: Shri S. M. Banerjee.

Shri N. R. Muniswamy (Vellore): There are a few more Members who want to speak. Each may be given five minutes.

Mr. Chairman: I have to call the hon. Minister after Shri Banerjee finishes. We have no time.

An Hon. Member: How long will the Minister take?

Mr. Chairman: I think 25 minutes will be taken by the Minister.

Shri S. M. Banerjee: Mr. Chairman, Sir, I support the Bill. You may remember that in this very House, when one of the undisputed leaders of domestic servants went on a hunger-strike outside the Parliament House assurance was given by the hon. Labour Minister that their service conditions would be looked into. He never promised to bring in legislation. That is a fact. But he did promise to consider the grievances of domestic servants. I am happy that the spirit of this Bill or the principle underlying this Bill has been supported by all the speakers. My hon. friend Shri Tyagi quoted the example of a very devoted servant. He is very fortunate and that domestic servant is also very fortunate to serve Shri Tyagi or to get from him a sort of fatherly affection.

But the whole thing is this. Sometimes even the domestic servants are exploited by saying, "you are just like my son." So, they are allowed to work for 24 hours. Small children or boys work as domestic servants out of their affection or respect for the elders. They go on working for hours together. I feel that the working hours should be regulated. I say that if a domestic servant wants to work for a longer number of hours, out of love he may work. But there should be some duty hours fixed for domestic servants.

When I speak in this House and support this Bill I am not speaking anything which I do not observe myself. After all, let us see the conditions of domestic servants. The domestic servant has to please many people; he has to play with the children; or he has to serve under the 'home ministry' as we say. If the 'home minister' is angry, he loses his job. The point is, the attitude of the Home Ministry whether in the Government of India or in the State Governments or inside our houses is generally not very good. That is what I say. Therefore, we must regulate the service conditions of domestic servants, and it has become absolutely essential for them. I have been given a memorandum submitted by the domestic servants' association in which they have stated that even the pilot scheme is not working satisfactorily. A committee consisting of five members was constituted but even in this committee no member has been taken from the class of domestic servants. The domestic servants have got their undisputed leaders who are capable of pleading their case very well. So, their representative should be included in this committee. Whether this legislation which is before the House or a similar legislation could

be framed is a matter which has to be considered very seriously by the hon. Minister of Labour.

Another question was very ably raised by my hon. friend Shri Bhakt Darshan. How is it that the trade union congresses, whether it is AITUC, INTUC, Hind Mazdoor Sabha or the UTUC, who speak so vocally about the workers did not support the proposal to bring a legislation, at the 17th Labour Conference? I was not present at that labour conference. But I did raise this question before my friends who attended it. They said that they supported a minimum wage for domestic servants; that they did mention that their service conditions should be looked into; but in the absence of some unanimity among the State Governments it was impossible for them to say that legisation in this matter should be brought. That was the difficulty which confronted those leaders, whether belonging to AITUC, INTUC or other organisations. That was the main reason why they could not possibly support bringing a legislation for this purpose.

I do not say every domestic servant is troubled by the master. I do not want to impute any motive to Members of Parliament, but for trifling matters, domestic servants have been handed over to the police in the North Avenue, where I stay. It was with great difficulty that we were able to get bail for the domestic servants. When a procession was being taken at the time of hunger strike my servant asked me, "Should I join the procession, because I am one of the members of the executive committee?" I said, "You should join. Why not?" Regarding the question as to what will happen to our food, I may say that though my wife has become the wife of a Member of Parliament, she knows cooking still; it does not mean that she has forgotten cooking because she has become the wife of a Member of Parliament. In the case of Shri Vajpayee, the difficulty is there, because he is a bachelor. I realise his difficulty. After all, we cannot think of a Bill keeping in mind only the question of bachelors. After all they are to marry today or tomorrow.

Shri Tyagi: I sympathise with your wife.

Shri S. M. Banerjee: You sympathised with me and made me a Member of Parliament. Shri Tyagi dismissed me and that is why I am here as a Member of Parliament. So, I shall remain grateful to him throughout my life.

Sir, a legislation like this is necessary. Without legislation, by rousing social consciousness alone, it is not possible to improve the conditions of domestic servants. With all the eloquence at his command, with all his honesty and feeling for the domestic servants, the hon. Deputy Labour Minister, who is unfortunately a dignified domestic servant, cannot do anything. I use the words 'dignified domestic servant' because he has to please some master—the Government.

Shri Abid Ali: I have to satisfy the Parliament.

Shri S. M. Banerjee: If the hon. Mover withdraws the Bill, that is a different matter. But the substance of this Bill and the various clauses of this Bill are to be taken seriously. If a committee is appointed, as suggested by Shri Vajpayee, this entire question can be gone into objectively, keeping in view the condition of those who engage domestic servants whether they have the capacity to pay, whether the salary of Rs. 30 is adequate, or inadequate, whether it should be Rs. 30 salary only or they should also be given food, etc. These are matters which are to be considered seriously. It is not only a question of Delhi. They may not be 10 crores, but I am sure they are in lakhs. It should be considered very seriously.

[Shri S. M. Banerjee]

With these words, I would request the Mover of this Bill not to withdraw it. If he withdraws the Bill, its very purpose will be defeated. If it is a question of disciplinary action against him by the party, that is a different matter. But if the disciplinary action is not official, but non-official, as the Bill is non-official, I would request him. . . .

Shri Tyagi: You want to create domestic trouble in the party.

Shri S. M. Banerjee: I am not interested in that. I sincerely believe in *Panchsheel* in non-interference. But let him not withdraw it, so that the domestic servants also may feel that the Government is going to accept this Bill or reject it, or let the Deputy Minister say that he is going to bring another piece of legislation much more comprehensive. The whole difficulty is, whenever we say "comprehensive", the Deputy Minister says, "I do not know what is comprehensive". To know what is comprehensive, one should have a power of comprehension. It is very difficult for me to explain to him every time what is comprehensive. If he is allergic to the word "comprehensive", I will say, another Bill should be brought forward embodying all the suggestions given by hon. Members, which are very valuable.

•

With these words, I support the Bill and I would request Shri Balmiki not to withdraw it. Let there be some occasion when Bills are not withdrawn. Otherwise, what is the use of speaking so much, when it is withdrawn? Let it not be only for purposes of election; let it be actually for the purpose of honestly helping the domestic servants.

श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) : जो भी इस बिल के सम्बन्ध में यहां कहा गया है, उसके बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें से बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और वह इसलिये कि इस काम को करने वाले भाई बहनों के साथ हमारी सहानुभूति भरपूर है । जो कुछ भी सेवा उनकी पिछले १८ महीनों में करने की कोशिश की गई है, वह आप जानते ही हैं । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में दिल्ली के एक खास विभाग उनके लिये खोला गया है और उसकी मार्फत उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की गई है । यह मामला सचमुच काफी गम्भीर है और अनुभव ने कुछ और भी बताया है । हम चाहते हैं कि इनकी उन्नति हो । वे भी इस हमारे विशाल देश के अंग हैं और देश के किसी भी अंग का कमजोर रहना या बीमार होना, उस शरीर की रक्षा करने वाला कोई भी आदमी नहीं चाहेगा । ये कमजोर हैं, गरीब हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । सवाल यह है कि क्या कानून की मार्फत उनकी सेवा की जा सकती है या और तरीकों से भी की जा सकती है । असल में बीमारी को समझ कर और उसकी जरूरत के अनुसार दवा देकर ही इस समस्या को हल किया जा सकता है । कांग्रेस सरकार ने जिसने कि जनता को सरकार माना है, वह जनता की कैसे उपेक्षा कर सकती है । क्योंकि जनता सरकार की भी सरकार है । हम सब उसके कर्मचारी हैं । जनता ने मैम्बर साहिबान को भी कर्मचारी बना कर यहां भेजा है और जितना सचेष्ट मैम्बर साहिबान रहेंगे उतना ही हम कर्मचारी जो हैं, अच्छी तरह से काम करेंगे । हमारे मालिक हैं एम० पी० और हम सब की मालिक जनता । कांग्रेस की सरकार कैसे यह देख सकती है कि कोई भी अंग देश का या कोई भी तबका देश का कमजोर रहे । हमने विधान में मजदूर को भी यह हक है कि वह हिन्दुस्तान का प्रेजीडेण्ट हो सकता है, प्रधान मन्त्री हो सकता है, सब कुछ हो सकता है । हमने विधान के द्वारा उनके चढ़ने के लिये सीढ़ी भी बना

दी है । कोई आदमी अगर गरीब है, कम आमदनी पाता है, तो ऐसा इंतजाम हो रहा है कि वह जो सीढ़ी है उस पर चढ़ने की ताकत हासिल कर सके । उनके लिये पढ़ाई के मामले में हमने मदद करने की कोशिश की है और दूसरे मामलों में मदद करने की कोशिश की है । ये तरीके हैं जो कि हम अख्तियार कर रहे हैं । ये जो साधन हम उनके लि मुहैया कर रहे हैं, ये बढ़ने चाहियें यह मैं मानता हूं और उन्हें पूरी तरह से कामयाब होना चाहिये ।

यहां पर कहा गया है कि दयालु हो जाइये, अच्छे हो जाइये । मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें कहने की कोई आवश्यकता नहीं ही । किसी पर दयालु होने का या किसी पर उपकार करने का कोई सवाल नहीं है । यह हमारा कर्तव्य है और हमें इसका पालन करना चाहिये । अपने कर्तव्य का पालन करना हर अच्छे आदमी का काम है ।

बाल्मीकी साहब ने हमें बहुत सी प्राचीन बातें समझाई जो कि बहुत मजेदार थीं । मुझे भी कुछ प्राचीन बातें याद हैं लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा । मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अब भी हिन्दुस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे कि बेहरे, खोजे, मेमन, आदि जो बावरची सफाई करने वाला, मैनेजर, मालिक, कर्मचारी जितने भी हैं, सब साथ में बैठ कर खाना खाते हैं, एक थाल में मालिक से लेकर छोटे से छोटे काम करने वाले बावरची वगैरह सब साथ बैठ कर खाना खाते हैं । आज भी मुल्क में ऐसे लोग हैं जो किसी किस्म का भेदभाव नहीं बरतते । यहां पर गांधी जी का नाम लिया गया है । उनके ही आशीर्वाद से, उनके ही प्रयत्नों से आज इन पिछड़े हुए लोगों के लिये इतना कुछ हो सका है । जिसको पतित समझा जाता है, जो पाखाना साफ करता है, महात्मा जी उसको पावन समझते थे और पाखाना गंदा करने वाले को जो पाखाना साफ करने वाले को घृणा की नजर से देखता था, पतित समझते थे ।

श्री राम सेवक यादव : आप भी ऐसा करते है ?

श्री आबिद अली : इस वक्त माननीय सदस्य ने जो कहा उसकी गुंजाइश नहीं थी । लेकिन हर एक अपने अपने खयाल में अपने अपने माहोल में फसा रहता है । कितनी ही कोशिश की जाय उसके निकालने की लेकिन वह उसी में फंसा रहता है । मेरी अर्ज यह थी कि जो लोग खुद गन्दगी करते थे फिर भी अपने को पावन समझते थे और उन की गन्दगी को साफ करने वाले जो थे उन को पतित समझते थे, हम उन की दशा को बिल्कुल बदल रहे हैं । उन को एक समान करने की कोशिश आज काफी अर्से से हो रही है और काफी तरक्की उन की हो रही है ।

जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, इस मसले को आज तीसरी मर्तबा उठाया जा रहा है । पहली मर्तबा यहां पर, दूसरी दफा राज्य सभा में और तीसरी मर्तबा आज फिर उठाया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस को भी ज्वायंट सेशन में रख दीजिये ।

श्री आबिद अली : आनरेबल मेम्बर तो हमेशा मतभेद ही चाहेंगे । उनका अस्तित्व ही इससे है । मेरी अर्ज यह थी कि उन्होंने भी अच्छी तरह से कोशिश की, लेकिन बिना पेंदे के लोटे की तरह से ही रहे । मद्रास की कान्फरेंस में वह हाजिर नहीं थे । मैं उन को याद दिलाऊं कि इन्फार्मल कंसल्टेटिव कमेटी में वे हाजिर थे और वहां पर इस मामले पर गौर किया गया । मैं तो यही मानता

[श्री आबिद अली]

कि वहां पर सब इसी खयाल के थे कि इस सवाल के बारे में कोई कानून पास न किया जाय। वही चीज मद्रास में भी विचार के लिये आई और वहां भी इस सवाल पर मतभेद नहीं था, मतभेद की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। स्टेट गवर्नमेंट्स के कहने से यह चीज मान ली गई और इण्डियन लेबर कान्फरेंस में यह सर्व सम्मति से पास हुई कि इस बारे में कोई कायदा कानून न लाया जाय क्योंकि, जिस तरह से हमारे भाई श्री त्यागी ने फरमाया, यह आपसी सम्बन्धों का सवाल है। सम्बन्ध मीठे होने चाहियें और सम्बन्ध कायदे कानून से मीठे नहीं हो सकते।

श्री डी० चं० शर्मा : आपने धर्मपत्नी और पति के सम्बन्धों के लिये जो कानून बना दिया है वह नहीं है ?

श्री आबिद अली : उनके सम्बन्ध में कानून है कि अगर वह अलग होना चाहें तो क्या होगा। इसके लिये कानून है।

श्री त्यागी : उसको सम्बन्ध तोड़ने के लिये बनाया गया था।

श्री आबिद अली : इसके लिये है कि कि टूट जायेगा तो क्या होगा। जब तक वे सुख से रहते हैं तब तक उन के लिये कानून की कोई बंदिश नहीं है।

वहां यह बात जरूर हुई थी कि पाइलट स्कीम और एडवाइजरी कमेटी बने। लोग कहते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन पिछले १८ महीनों से जिस तरह से हमारा काम चल रहा है उसको सुन कर माननीय सदस्यों को ताज्जुब जरूर होगा और खुशी भी होगी। लेकिन कुछ लोग इस किस्म के भी होते हैं जो इन बातों से नाराज होते हैं, और वे नाराज भी होंगे कि अखबारों में ऐलान के बाद भी कि यह दफ्तर मजूद है हमारे पास सिर्फ आठ शिकायतें आई हैं।

हमारे भाई फरमा रहे थे कि अलग अलग मोहल्लों में इसका इन्तजाम किया जाय कि शिकायतें दर्ज हो सकें। हमारे दल के एक सदस्य फरमा रहे थे कि एक अफसर वहां काम कर रहा है जिस के पास दूसरे काम भी हैं। लेकिन यह सही बात नहीं है। इस काम के लिये खास तौर पर अफसर रक्खा जाता है लेकिन अखबारों में ऐलान करने के बाद भी कुल आठ शिकायतें आई हैं जिनमें से तीन मालिकों की तरफ से हैं और पांच कर्मचारियों की तरफ से हैं। कर्मचारियों की तरफ से यह शिकायतें थीं कि उनको तनख्वाह नहीं दी गई। लेबर वेलफेयर आफिसर ने पूरे मामले को सोच समझ कर दोनों में समझौता करवा दिया और जिन कर्मचारियों को तन्खाहें नहीं दी गई थीं, उनको तन्खाहें मिल गई। और कर्मचारियों की ओर से जो पांच शिकायतें आई थीं उन पांचों को उनके सन्तोष के अनुरूप हल कर दिया गया।

यह कहना कि कर्मचारी बड़े दुखी हैं और मालिक बड़े आराम में हैं यह भी ठीक नहीं है। कोई कहता है कि मालिक ज्यादा मजलूम है क्योंकि कोई कर्मचारी उनकी लड़की भगा ले जाता है, कहीं खून हो जाते हैं और कहीं चोरियां हो जाती हैं या और तरह की गड़-बड़ियां हो रही हैं। बहरहाल उन दोनों से मेरी अर्ज यह है कि कर्मचारी भी इस देश के अंग हैं, उन में और दूसरों में कोई फर्क नहीं है। हमारा समाज जितना परिमाण में बुरा है उतने ही वे भी बुरे हैं और समाज जितना अच्छा है उतने ही वे भी अच्छे हैं। कर्मचारी ज्यादा खराब हैं और वे काम नहीं करते हैं, यह कह देना भी बिल्कुल सही नहीं होगा और कर्म-चारियों का भी सब मालिकों के लिये बुरा कह देना ठीक नहीं है। दिल्ली में, जहां इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, सिर्फ तीन मालिकों की कर्मचारियों के खिलाफ

और पांच कर्मचारियों की मालिकों के खिलाफ शिकायतें हुईं ।

एक माननीय सदस्य : मालिकों की शिकायत क्या थी ?

श्री आबिद अली : मालिकों की शिकायत यह थी एक मामले में की कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, दूसरे मामले में यह था कि कर्मचारी गैर हाजिर हो जाया करता है। इसी तरह तीसरे की भी कुछ शिकायत थी। बहरहाल इन मामलों के लिये हमने एक लेबर वैलफेयर आफिसर नियुक्त कर दिया है। एक किया हुआ है, जरूरत हो तो हम दस करने को तैयार हैं । एम्प्लायमेंट एक्सचेंज हमने कायम किये हुए हैं, एक नई दिल्ली में है, एक दरियागंज में है और एक पूसा में है। हर एक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में हम एक आफिसर नियुक्त करने को तैयार हैं अगर काम बढ़ने वाला हो। लेकिन अगर उन के लिये काम की गुंजाइश नहीं है तो सिर्फ एम्प्लायमेंट आफिसर नियुक्त कर देना ही ठीक नहीं है।

जहां तक कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मेरी समझ में भी यही आता है कि दिल्ली में घरेलू कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है, इस लिहाज से कि वे घरों में काम करना नहीं चाहते हैं । पहाड़ों से और गांवों से जो लोग आते हैं वे दिल्ली में आकर घरों में काम करना शुरू कर देते हैं और साथ में वे पढ़ाई भी करते हैं । मैं कई जवानों और छोटे लड़कों को जानता हूं जिन्होंने दिल्ली में आकर घरों में काम करते हुए पढ़ा है और उनमें से ज्यादातर यह कोशिश करते हैं कि उनको चपरासी वगैरह की जगह मिल जाये ।

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि कारखानों में चले जायें । अगर आप मोटर ट्रेनिंग स्कूल्स में जा कर देखें तो पायेंगे कि बहुत बड़ी संख्या काम सीखने वालों में । घरेलू कर्मचारियों की है जो वहां पर काम करके आमदनी करते हैं और उससे अपनी फीस देते हैं और कुछ दिन बाद मोटर ड्राइवर हो जाते हैं । बहुत से लोग आगे पढ़ने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हिन्दुस्तान में मजदूर मजदूर ही रहें या मजदूर के बच्चे मजदूर ही रहें । वह भी तरक्की करके आगे बढ़ें, समाज का विश्वास हासिल करें और बढ़ते बढ़ते ऊंची से ऊंची जगह पहुंच जायें । इसलिये हमें उनकी तरक्की के साधन पैदा करने चाहियें, यह भी मैं मानता हूं। इस तरह से उन में से बहुत बड़ी संख्या में लोग मजबूरी से घर काम करते हैं, खुशी से काम नहीं करते । कोशिश हर एक की पहले यह रहती है कि वह कमाये और फिर आगे बढ़ने के लिये शुरू की नौकरी छोड़ जाय ।

श्री स० मो० बनर्जी : ऊंचे से ऊंचे कहां तक वे चढ़ सकते हैं ?

श्री आबिद अली : मुश्किल तो यह है कि हमारे भाई वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं, गुस्सा उनको जरूर है, लेकिन क्या किया जाय ? डिजर्व ऐंड देन डिजायर ।

श्री स० मो० बनर्जी : बिहिश्त या दोजख में कहां जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : कौन ऊंचा हो सकता है, बिहिश्त या दोजख ?

श्री आबिद अली : जिसने अपने को जैसा बनाया है, यह उस पर मुन्हसर है ।

इस विधेयक में पुलिस वगैरह का जिक्र किया गया है, मैं उसको नामुनासिब समझता हूं । इसमें कांप्रिहैंसिव लेजिस्लेशन या ऐमवर लेजिस्लेशन की बात नहीं है । मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक इन्फार्मल कन्सल्टेटिव कमेटी या इंडियन लेबर कांफ्रेंस का ताल्लुक है, जहां तक इस समस्या का ताल्लुक है, सब जगह से अभी तक यही चीज आई है, जिस में सब ग्रुप,

[श्री आबिद अली]

पार्टी और मूवमेंट या आर्गेनाइजेशन, सब लोग शामिल हैं, कि कोई इस तरह की चीज न की जाय। मैं यह चीज नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस चीज पर ऐतराज है। अगर ऐतराज है तो यह कि मैं पुलिस एन्क्वायरी को बहुत अच्छा नहीं समझता हूं। इस विधेयक को माननीय सदस्य ने रखा है, उनकी खुशी है। यह ठीक नहीं है कि इसमें पार्टी वगैरह का सवाल आता है या यह कि कांग्रेस मेम्बर होने की वजह से इसे वापस ले लेंगे। कई दफा हमारे दूसरे भाई जो मुत्तालिफ हैं, उन्होंने भी बिल वापस ले लिये हैं। यह बात जरूर है कि जब माननीय सदस्य किसी चीज को ठीक समझते हैं तो उसको यहां रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे सब बातों को समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि जो बात कही जा रही है वह ठीक है और किसी चीज पर जोर देने की जरूरत नहीं है और बिना उस चीज को रक्खे हुए काम ज्यादा ठीक तरह से हो सकता है, पूरा मकसद हासिल हो सकता है, तो उसे वे वापस ले लेते हैं। यह सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मेम्बरों के लिये नहीं है, वह सब के लिये है इसमें कोई शुबहा नहीं है। यहां पर पार्लियामेंट के मेम्बर आते हैं, जो चीज रखते हैं अगर वह मुनासिब होती है तो उस पर हम उस तरह से अमल करते हैं, और अगर वह ठीक चीज नहीं मालूम होती तो उसको नहीं मानते हैं।

अभी एक भाई अमरीका वगैरह की बात फरमा रहे थे। ठीक है, वहां ऐसा होता है। मुझे भी एक ऐसी चीज मालूम है। क्या हुआ कि एक मेम साहबा ने एक काम करने वाली रक्खी और कुछ दिन के बाद उसको एक दिन की छुट्टी दी। छुट्टी के दिन वह अपने कमरे में देर तक गुस्से से बैठी रही। जब देर तक किसी ने चाय नहीं दी तो बाहर निकली और कहा कि क्यों मेरी चाय तुम ने नहीं दी? उस पर मालेकिन ने कहा कि मैं तुमको चाय दूं? नौकरानी ने कहा कि आज मेरा छुट्टी का दिन है और चाय मिलना मेरा हक है इसलिये आपको चाय बनाना चाहिए और मुझे चाय पिलाना चाहिए। यह भी एक तरीका है। वहां के जो हालात और तरीके हैं वह आप हजरात को अच्छी तरह से मालूम हैं।

Shri S. M. Banerjee: Everything there is automatic.

श्री आबिद अली : मैं ने सुना नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि वहां पर हर एक चीज आटोमैटिक है, लेकिन इस हाउस में हर चीज आटोमैटिक न हो।

श्री आबिद अली शायद आनरेबिल मेम्बर को वहीं का दिमाग मिला है इसीलिये वह हमेशा आटोमैटिक हुआ करते हैं।

दूसरी बात यह है, जैसा कि त्यागी साहब ने फरमाया, कि ये कर्मचारी भाई बहिन खानदान के अंग हो जाते हैं। खानदान की राहत और तकलीफ में बराबर हिस्सा लेते है। अक्सर देखा गया है कि अगर खानदान में कोई मर जाता है तो उसके लिए ये कर्मचारी उसी तरह रोते है जैसे कि दूसरे खानदान के लोग।

हां उन मालिकों के लिये जरूर कुछ होना चाहिये जो नामुनासिब कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस मामले में अगर कायदा बनाया गया तो उस पर अमल होगा यह मेरा मानना नहीं है। बल्कि ऐसा कायदा बनाना तो बरेलू कर्मचारियों से दुश्मनी होगी अम्बत्ता तो वह कायदा अमल में नहीं आ सकता। कायदा ऐसा बनाना चाहिए कि जो अमल में आ सके है। कहा

गया कि वे वेतन की वह रसीद लें। मैं कहता हूं कि जो लोग छोटी आमदनी के हैं वह रसीद नहीं लेते। फिर अगर वे ले भी लें तो उसको रखें कहां, उनके पास तिजोरी नहीं है।

अभी तक हमारे पास पांच शिकायतें आई हैं कि तनखाह नहीं मिली। आप कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसी शिकायतें लेकर आते हैं। यहां पर इसका चर्चा हो गया, आप भी अपनी तरफ से प्रचार कीजिए। हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग शिकायतें लावें तो मालूम हो कि क्या बात है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके लिए कायदा बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पर उनको तकलीफ हो उनकी मदद करना जरूरी है और हम मदद करने के लिए तैयार हैं।

हमारी एडवाइजरी कमेटी पर उनका एक प्रतिनिधि होना चाहिए। उनके लिए जगह खाली रखी है। मगर सवाल यह है कि हम लें किस को। यूनियन रजिस्टर नहीं हुई है यह हमारा ऐतराज नहीं है। लेकिन यूनियन का अस्तित्व तो होना चाहिए। यहां तीन यूनियनें हैं, उनमें से एक तो कभी जिन्दा हो जाती है और कभी बरसाती मेंढक की तरह गायब हो जाती है। मगर जो दो यूनियनें और हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनको खत लिखे, आदमी उसके पास भेजे। कई मर्तबा आदमी भेजे और पहले से उनको लिख दिया कि इस वक्त हमारा आदमी आएगा, आप उनको अपना रजिस्टर दिखलाइए, उनको अपनी मेम्बरशिप बतलाइये अगर किसी बैंक में हिसाब रखते हों तो उनको बतलाइये। वह गरीब लोगों की यूनियन है इसलिये शायद बैंक में हिसाब न रखते हों। लेकिन हमने उनके दफ्तर पर आदमी भेजा, लेकिन अभी तक हमको इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि उनके रजिस्टर होने में क्या दिक्कत है और अगर हम मदद कर सकते हैं तो करें। लेकिन इसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। यूनियन रजिस्टर न भी हों लेकिन हमको अपनी किताबें वगैरह तो दिखावें जिससे मालूम हो कि मेम्बरशिप के लिहाज से उनको नुमाइन्दगी का हक है।

यह बात सही है कि एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स कम हुई है। मैं चाहता हूं कि एडवाइजरी कमेटी के मेम्बर इसमें ज्यादा हिस्सा लें। उनको हर किस्म की सहूलियत दी जावेगी और उनको अख्तियार है कि इस सम्बन्ध में जिस अफसर को चाहें बुला सकते हैं, जिस मुहल्ले में जाना चाहें जा सकते हैं, हमारे अफसरान की जितनी मदद उनको चाहिए वह हम देने के लिए तैयार हैं। वह सारे हालात मालूम करने की कोशिश करें इसके लिए उनको सहूलियतें देने के लिए तैयार हैं।

जब हमारे अफसरान ने यह जानने की कोशिश की कि कितने कर्मचारियों को हफ्ते में छुट्टी मिलती है तो उनकी रिपोर्ट है कि करीब ५० फी सदी को हफ्ते में छुट्टी मिल जाती है। यह सही है कि वह खास खास मुहल्लों में ही गए। हो सकता है कि कुछ मुहल्लों में न मिलती होगी। लेकिन ५० फी सदी को हफ्ते में एक छुट्टी मिल जाती है और बाकी को भी किसी न किसी शक्ल में छुट्टी मिल जाती है।

तनखाह के बारे में भी उनकी रिपोर्ट है कि महीना खलास होते ही एक हफ्ते के अन्दर उनको तनखाह मिल जाती है। कुछ केसेज में ऐसा हो सकता है कि पूरी तनखाह न मिलती हो। मगर जिन्हें मिलती है उनको पूरी मिल जाती है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या सारी दिल्ली का सर्वे करके यह फैसला किया गया है?

श्री आबिद अली : बहुत थोड़े एरिया का सर्वे किया गया है, कुछ मुहल्लों में गए थे

[श्री आबिद अली]

यह माननीय सदस्य ठीक फरमा रहे हैं । बहुत बड़ी संख्या को उन्होंने नहीं देखा, कुछ सौ केसेज देखे हैं । लेकिन तनखाह न मिलने की कुल पांच शिकायतें हैं ।

कहा गया कि लेबर आफिसर ठीक काम नहीं करते । मालूम नहीं कि किस किस्म की शिकायत है । अभी तक मुझे तो कोई शिकायत नहीं मिली । लेकिन अगर किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो वह हमको बतायें और अगर वह शिकायत सही है तो हम उस आदमी को बदलने में कोई संकोच नहीं करेंगे ।

जहां तक सहानुभूति का सवाल है, मैं अर्ज कर चुका हूं कि उनके साथ हमें पूरी हमदर्दी है और रहेगी । यह भावना उपकार के रूप में नहीं है बल्कि कर्तव्य के रूप में है । और उनकी तकलीफ की कोई भी शिकायत जब हमारे पास पहुंचेगी तो उस तकलीफ को हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी । लेबर डिपार्टमेंट उसको दूर करने में मदद करेगा और मैं खुद अपने तरीके से उसमें मदद करूंगा । जहां भी और जितनी भी उनको मेरे डिपार्टमेंट की मदद चाहिए वह लें और मैं वायदा करता हूं कि उनको मदद दी जाएगी ।

पिछले हंगर स्ट्राइक के बाद जो स्टेटमेंट दिया गया उसके बारे में भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया । मैं अर्ज करूंगा कि उस स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी कि हम कोई कायदा इस बारे में बनाएंगे । ऐसा हमने नहीं कहा । स्टेमेंट यहां मौजूद है ।

इसके बाद मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इस बिल को वापस ले लेंगे और वे हमारी पूरी मदद करेंगे ताकि हम इन कर्मचारियों की पूरी मदद कर सकें ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मद्रास कानफरेंस में यह तै हुआ था कि दिल्ली में एक पायलट स्कीम शुरू की जाए और उसके अनुभव के बाद सारे देश में उसको लागू किया जाए । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री आबिद अली : यह जरूरी नहीं है कि राज्य सरकारें दिल्ली के तजरबे के लिये रुकी रहें । वे भी अपने यहां दफ्तर खोल सकती हैं और अपना तजरबा कर सकती हैं । इसके लिये कोई बन्दिश नहीं है ।

श्री वाल्मीकी : घरेलू कर्मचारी विधेयक पर काफी बहस हुई है और इसमें नौ माननीय सदस्यों ने भाग लिया और दसवें मंत्री जी बोले । दस धर्म के लक्षणों की तरह से यह भी एक व्यावहारिक बात प्रतीत हुई । तथा उनके विचारों की पवित्रता सदन के सम्मुख आई ।

श्री वाजपेयी : नम्बर भी ठीक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो नौ माननीय सदस्य बोले उनमें अपने आपको भी क्या आप शामिल करते हैं ?

श्री वाल्मीकी : माननीय सदस्यों के उद्गार सुनने के बाद और माननीय मंत्री जी के हल्के आश्वासन को सुनने के बाद भी मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इस बिल को मंजूर कर लिया जाए । आज का दिन एक मुबारक दिन है क्योंकि आज के दिन घरेलू कर्मचारियों के प्रश्न पर यहां बहस हुई है और उस बहस के दौरान में कुछ उनकी दयनीय स्थिति का चित्र हमारे मस्तिष्क में आया है । जब भी कभी इस तरह का सवाल सामने आता है तो एक

अजीब हालत विचारों की हो जाती है। ऐसी स्थिति में हर आदमी धर्म संकट में फंस जाता है। मुझे याद आता है वह जमाना जब कि इंग्लैंड में पहली बार फैक्ट्री एक्ट लाया गया था तो उसे देश के अन्दर जहां पर कि इतने चमत्कार हुए हैं और एक प्रकार की रोशनी उसने दुनिया को दी है, एक बावैला मचा था, शोर मचा था और आज भी इसी तरह का एक शोर हम अपने देश में मचता हुआ पाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। आज हम देश में बड़े बड़े और छोटे छोटे सभी प्रकार के उद्योग स्थापित कर रहे हैं, देश का औद्योगीकरण करने हम जा रहे हैं और उस तरफ भी ऐसे कुछ लोगों को अलग से आकर्षण पैदा होगा और वे उधर भी जायेंगे। लेकिन फिर भी औद्योगीकरण से जो शान बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगी तो कोई वजह नहीं है कि घरेलू कर्मचारी किसी न किसी रूप में आराम के लिए या लाभ के लिए रखे न जायें। यह बात भी अवश्य है कि जब शान व शौकत से भरा जीवन होता है, वभवपूर्ण जीवन होता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन होता है तो जो मालिक की मन्नरी होती है, उस पर सौदर्य झलक जाता है और जहां वभवपूर्ण सौदर्य झलकता है वहां उसमें काम करने की हिम्मत नहीं रहती है और वह नौकर का सहारा लेती है। ऐसी सूरत में कोई कारण मझे प्रतीत नहीं होता कि है कि क्यों न इन लोगों के लिए कोई कानून हम बनायें। मेरा पक्का विश्वास है, आप इसको चाहे माने या न मान, और मैं विधेयक वापस लूं या न लूं, यह अलग बात सवाल है, कि उनके काम के घंटे मुकर्रर करने के लिए उनके लिए जीवन की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए तथा चिकित्सा का प्रबन्ध करने के लिए, कोई न कोई कानून जरूर बनना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है कि यह जो विधेयक मैं लाया हूं इसकी क्लाजिज पर अगर आप पूरे तौर से ध्यानतो दें, आप के विचार भी जरूर बदलेंगे।

मुझे वह दिन याद आता है जब मैं तेजी से आ रहा था बुलंदशहर से लौट कर और मुझे संसद के सामने भूख हड़ताल करता हुआ शाम सिंह मिला था जिसने घरेलू मजदूरों के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा रखी थी। उसको भूख हड़ताल किए हुए कई दिन हो चुके थे। मैंने जल्दी में इसके बारे में बिल लाकर यहां पेश किया और एक प्रकार से इसको प्रस्तुत किया। जब मैंने ऐसा कर दिया तब जाकर उसने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। जिन भावनाओं को लेकर मैंने इस बिल को यहां प्रस्तुत किया है, उन भावनाओं की मैं आज भी कद्र करता हूं। यह बात जरूर है कि चाहे पहाड़ी क्षेत्रों से लोग आकर नौकरी करते हों या किन्ही दूसरे प्रदेशों से आकर उन सब की समस्यायें एक जैसी है। कोठी बंगलोज इत्यादि में काम करने वाले भंगी, धोबी और अन्य लोग जिनमें घरेलू मजदूर भी शामिल है, उनकी विकट समस्या है, विकट परिस्थितियां हैं और उनकी ओर आपका ध्यान जाना आवश्यक है। आपने आश्वासन दिया है कि आप उनके लिए जो कुछ भी कर सकते है करेंगे। आपने पायलट स्कीम, प्रयोगात्मक कार्यालय खोला है और इन दो एक सालों में थोड़े से केस भी पकड़े है। लेकिन मुझे मालूम है कि तनख्वाहों के तथा पुलिस या मालिकों के जुल्म के दूसरे मामले जो आपके सामने आने चाहियें थे नही आते है। जो काम आप कर रहे हैं और जिस काम को लेकर आप चल रहे है, उसका विकास नहीं हुआ है, उसका अधिक प्रचार नही हुआ है, यह होना चाहिये। ये कोठी, बंगलेवाले लोग जब अंग्रेजों का राज्य था तब भी कोठियों, बंगलोज आदि में नौकरियां करते थे। अंग्रेजों का राज्य यहां था और वे इनको अच्छी तनख्वाह दिया करते थे, इस वास्ते उनका राज्य बना रहना चाहियें था, यह मैं कभी नहीं कह सकता हूं। मुझे एक बात याद है जो मैंने अंग्रेज को कही थी। उस वक्त मैं सफाई मजदूर के तौर पर का

[श्री बाल्मीकी]

करता था । तथा उसके कष्टों का अनुभव करता था । उस अंग्रेज का नाम कैर साहब था और उसने एक अजीब बात कही तो मैंने उसे कहा कि ब्योरोक्रेटिक मेन्टिलिटी आपकी हो सकती है, हमारी नहीं । तनख्वाह कम मिले या ज्यादा, इसकी कोई परवाह नहीं लेकिन अंग्रेजियत को यहां से जाना होगा और वह गई और यह अच्छा ही हुआ किन्तु इनके कष्टों का निराकरण कहां हुआ है । उस वक्त एक भंगी को चालीस रुपये या पचास रुपये माहवार मिलते थे,आराम मिलता था उनके कपड़े मिलते थे, और जो ऐसे नौकरीपेशा आदमी परदेस आते थे, उनकी शान होती, लेकिन इस सब की मुझे कोई आज चिन्ता नहीं है । मुझे इस बात की भी चिन्ता नहीं है कि आज एक कलेक्टर दस रुपये से ज्यादा नहीं देता है । लेकिन उनकी जो स्थिति आज है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वे अडयत कष्ट में हैं ।

पुलिस के मदाखलत की बात कही गई है । यह मुझे भी अच्छी नहीं लगी है । बिल आप नहीं मान रहे हैं । पुलिस को मैं बीच में नहीं लाना चाहता हूं । लेकिन यह जरूर है कि जिस तरह से आपने फैक्ट्री एक्ट बनाया है, शाप एस्टेबलिशमेंटस एक्ट बनाया है, उसके आधार पर तनख्वाहों की बात को तो छोड़िये, लेकिन काम के घंटों के बारे में, कंडिशन्स आफ सर्विस के बारे में आप कोई कानून जरूर बनायें । इस में कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिये ।

यहां पर सदन में कहा गया है माननीय सदस्य की ओर से एक जांच समिति हो संसद् सदस्यों की जो उनकी स्थिति पर विचार करे और उपाय सुझाये । वैसे आप की सलाहकार समिति बनी हुई है । मैं उसका जो रूप है, उस से संतुष्ट नहीं हूं । कोई वजह नहीं है कि उस में दूसरे लोगों को न लिया जाये सारे देश के अन्दर जो घरेलू मजदूर हैं, उन प्रतिनिधियों को आपको चाहिये कि आप उस में लें ।

मेरी हमदर्दी उन के साथ है जो नौकरी से हटा दिये जाते हैं । इस तरह से हटाये गए किसी घरेलू कर्मचारी को जब मैं देखता हूं तो मुझे दुख होता है, मेरा हृदय दर्द से भी जाता है । एक लड़के को मैंने देखा जिसकी चार दिन हुए सर्विस छूट गई थी और उसक बहुत ही बुरी हालत थी । उसकी सूरत उत हुई थी, मालिक ने तनख्वाह तक नहीं दी थी इस तरह के मामले आपके सामने आते हैं या नहीं आते हैं । मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातों के बारे में भी आप कुछ करें । प्रयोगात्मक कार्यालय ऐसे मामले हाथ में लें । कोठी बंगलोज में जो लोग काम करते हैं, उनके प्रतिनिधि भी आप को उस कमेटी में लेने चाहिये । मान्यता के नाम पर संस्था के पीछे आप मत पड़िये, आप किसी और आधार पर उनके प्रतिनिधियों को ले सकते हैं । अगर ये लिये जायें तो ये अपने दुख दर्द आपके सामने रख सकेंगे, अपने विचार आपके सामने रख सकेंगे ।

मैं चाहता तो यह था कि कोई कानूनी शक्ल इसको दे दी जाती लेकिन मंत्री जी के भावनापूर्ण विचार सुनने के बाद कर्तव्य पालन तो करना ही है । वाजपेयी जी तथा दूसरे साथी जानते हैं कि भावना से कर्तव्य बहुत बड़ा होता है । जो आश्वासन मंत्री जी ने दिया है और जो प्रेम इनके प्रति जाहिर किया है, उसकी मैं कद्र करता हूं । त्यागी जी ने प्रेम की बात कही, वंशगत बात कही और कहा कि वंश में जिस तरह से और सदस्य रहते हैं, इनको भी उसी तरह से रखना चाहिये और इन को भी वंश का एक अंग मानना

चाहिये। काश कि उस तरह का प्रेम वे इनके प्रति दिखा सकें।

ओ३म सहृदयं सामनस्यं मविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥
अथर्ववेद ॥

मंत्र में व्यक्त भावना यह है कि हमारे दिल एक से हों, दिमाग एक से हो, विचार एक से हों, सभी के दिलों में उनके प्रति सद्भावना हो और हम उनके प्रति मनुष्यता का व्यवहार करें और वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार गाय अपने नवजात बच्चे के साथ करती है। उसे प्यार करती है। वैदिक भावना जो मानव के प्रति रही है, वही भावना अगर हमारी इनके प्रति हो जाये, तो समस्या आप के आप हल हो सकती है।

चाहता तो मैं यह था कि मंत्री महोदय मेरे इस विधेयक को स्वीकार कर लेते लेकिन कारणवश उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की है इसको स्वीकार करने में और कहा है कि इनके जीवन को सफल बनाने के लिये वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और करते जायेंगे, इसलिए मैं अपने इस विधेयक को वापिस लेता हूं। अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों तथा मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इनके प्रति अपने विचार व्यक्त किये हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

17 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Article 226 by Shri C. R. Pattabhi Raman)

Shri C. R. Pattabhi Raman (Tanjore): Sir, I beg to move;

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration"

Sir, the amendment that I am seeking to move concerns article 226 of the Constitution. This article reads as follows:

"Not withstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases any Government within whose territories directions, orders or writs, including writs in the nature of *habeas corpus*, *mandamus*, prohibition, *quo warranto* and *certiorari*, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose."

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue next time.

17.02 hrs.

INTEGRATION OF SERVICES IN PUNJAB*

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : मेरा जो पंजाब की सर्विसेज के इंटेग्रेशन के बारे में सवाल था, उस का जो जवाब दिया गया, उस के बारे में मैं यह डिस्कशन रेज करना चाहता हूं। इस के बारे में मैं सब से पहले यह बात बतलाना चाहता हूं कि इंटेग्रेशन से पहले यानी पहली नवम्बर, १९५६ के पहले जो पेप्सू के अस्टंह्लाइल चीफ मिनिस्टर थे और जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे उन की एक कांफरेंस हुई। उस कांफरेंस में एक ऐग्रीड फार्मूला तैयार किया गया और साफ तौर पर इस बात का फैसला किया गया कि जितने भी एम्प्लायीज हैं उन सब को कैडर टू कैडर बेसिस पर इंटेग्रेट किया जायेगा। और पेप्सू के जो क्लर्क हैं, असिस्टेंट हैं, असिस्टेंट इनचार्ज हैं या सुपरिन्टेन्डेन्ट वगैरह जो हैं उन को किसी भी हालत में उन अफसरों से कम नहीं समझा जायेगा जो कि पंजाब में उन्हीं ओहदों पर हैं। उन को बिल्कुल बराबर समझा जायेगा। इस जगह पर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह जो फैसला हुआ, वह

*Half-an-Hour Discussion.